अध्याय–VI

राज्य आबकारी

अध्याय-VI: राज्य आबकारी

6.1 कर प्रशासन

राज्य आबकारी राजस्व में, राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत आरोपित या आदेशित भुगतान, फीस, कर, जुर्माना या जब्ती की प्राप्तियाँ समाविष्ट है। इसमें मदिरा, भांग एवं चिरे हुये डोडा-पोस्त के विनिर्माण, अधिग्रहण एवं बिक्री से प्राप्त राजस्व भी सम्मिलित है। राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950, सरकार को समय अवधि आबकारी नीति बनाने के लिये अधिकृत करता है।

6.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

राज्य आबकारी विभाग की वर्ष 2007-08 से 2011-12 की प्राप्तियों के साथ इसी अवधि की राज्य की कुल प्राप्तियां निम्नलिखित सारणी में दर्शायी है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	अन्तर आधिक्य(+)/ कमी (-)	अन्तर की प्रतिशतता	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	वास्तविक प्राप्तियों के साथ कुल कर प्राप्तियों की प्रतिशतता
2007-08	1,750	1,805.12	(+) 55.12	(+)3.15	13,274.73	13.60
2008-09	2,025	2,169.90	(+)144.90	(+) 7.16	14,943.75	14.52
2009-10	2,200	2,300.48	(+)100.48	(+) 4.57	16,414.27	14.02
2010-11	2,460	2,861.41	(+)401.41	(+) 16.32	20,758.12	13.78
2011-12	2,950	3,287.05	(+)337.05	(+)11.43	25,377.05	12.95

यद्यपि, वास्तविक रूप में राज्य आबकारी शुल्क की प्राप्तियों में प्रतिवर्ष वृद्धि दर्ज हुई थी, लेकिन राज्य आबकारी विभाग के राजस्व की, राज्य में संग्रहित कुल कर राजस्व से प्रतिशतता में वर्ष 2007-08 की तुलना में गिरावट रही। 2007-08 के दौरान राज्य आबकारी शुल्क की प्राप्तियाँ राज्य के कुल कर राजस्व की 13.60 प्रतिशत लेखांकित थी। वर्ष 2011-12 में, ये प्राप्तियाँ राज्य की कुल कर प्राप्तियों का 12.95 प्रतिशत रहीं।

6.3 राजस्व की बकाया का विश्लेषण

31 मार्च 2012 को राजस्व की बकाया ₹ 214.35 करोड़ थी जिसमें से ₹ 204.59 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे। यह इंगित करता है कि विभाग द्वारा बकाया वसूली हेतु प्रभावी कदम नहीं उठाये गये। निम्नलिखित सारणी में 31 मार्च 2012 को राजस्व की बकाया स्थिति दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)

बकाया का वर्ष	01.04.2011 को कुल बकाया	वर्ष 2011-12 के दौरान वृद्धि	वर्ष 2011-12 में की गई वसूली	31.03.2012 को बकाया वसूली
2006-07 तक	216.94	-	12.35	204.59
2007-08	0.01	-	0.01	-
2008-09	0.05	0.04	-	0.09
2009-10	-	-	-	-
2010-11	0.40	9.27	-	9.67
योग	**217.40**	**9.31**	**12.36**	**214.35**

पांच वर्षों से अधिक बकाया ₹ 204.59 करोड़ की वसूली की सम्भावना कम है।

यह अनुशंषा की जाती है कि राज्य सरकार को बकाया राशि की शीघ्र वसूली हेतु उचित प्रयास करने चाहिये।

6.4 संग्रहण की लागत

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के सकल संग्रहण, संग्रहण पर हुआ व्यय तथा ऐसे व्यय की कुल संग्रहण से प्रतिशतता के साथ समान अवधि में संग्रहण पर हुए व्यय की सकल संग्रहण से सुसंगत अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	सकल संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर हुआ व्यय	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	विगत वर्ष की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
1	2007-08	1,805.12	48.51	2.69	3.30
2	2008-09	2,169.90	64.46	2.97	3.27
3	2009-10	2,300.48	85.74	3.73	3.66
4	2010-11	2,861.45	87.45	3.06	3.64
5	2011-12	3,287.05	82.92	2.52	3.05

6.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव

गत पाँच वर्षों के हमारे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के द्वारा ₹ 104.29 करोड़ राजस्व सन्निहित के 16 अनुच्छेदों में कर के अनारोपण/कम आरोपण, अवसूली/कम वसूली, कम निर्धारण/राजस्व की हानि, कर की गलत दर लगाना, कर की गलत संगणना आदि के प्रकरण ध्यान में लाये। जिनमें से विभाग/सरकार ने ₹ 4.14 करोड़ सन्निहित के सात अनुच्छेदों को पूर्णत:/अंशत: स्वीकार किया तथा सात अनुच्छेदों में केवल ₹ 3.31 करोड़ वसूल (सितम्बर 2012) किये जैसाकि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेद		स्वीकार किये गये अनुच्छेद		वसूल की गई राशि	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	अनुच्छेदों की संख्या	राशि
2006-07	5	19.88	-	-	-	-
2007-08	4	29.18	4	0.96	4	0.95
2008-09	4	45.44	2	0.42	2	0.42
2009-10	2	1.88	-	0.09	-	0.09
2010-11	1	7.91	1	2.67	1	1.85
योग	**16**	**104.29**	**7**	**4.14**	**7**	**3.31**

6.6 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली

राज्य आबकारी विभाग में वित्तीय सलाहकार आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा का प्रमुख होता है। विभाग में दो आन्तरिक लेखापरीक्षा दल सहायक लेखा अधिकारी के नेतृत्व में कार्यरत है। विभाग द्वारा तैयार किये गए लेखापरीक्षा योजना में वर्ष के दौरान कौनसी इकाईयों की लेखापरीक्षा की जानी है, नहीं दर्शायी गई थी। विगत पाँच वर्षों की आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थिति निम्नानुसार थी:

वर्ष	बकाया इकाईयां	वर्ष के दौरान शामिल की गई इकाईयां	कुल इकाईयां	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा की गई इकाईयां	लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाईयां	लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाईयों का प्रतिशत
2007-08	57	40	97	20	77	79
2008-09	77	40	117	29	88	75
2009-10	88	40	128	58	70	55
2010-11	70	40	110	83	27	25
2011-12	27	40	67	60	7	10

यह देखा कि वर्ष 2011-12 के अंत तक 847 अनुच्छेद बकाया थे, जिनमें 238 अनुच्छेद पाँच वर्षों से अधिक के बकाया थे। वर्षवार बकाया अनुच्छेदों की स्थिति निम्न प्रकार है:

वर्ष	2006-07 तक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	योग
अनुच्छेद	238	25	74	119	391	-	**847**

इस प्रकार विशाल बकाया अनुच्छेदों के रहते आन्तरिक लेखापरीक्षा का उद्देश्य विफल रहा।

अधिनियम एवं नियमों की अनुपालना कराने एवं राजस्व की छीजत रोकने हेतु सरकार को आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा को सुदृढ़ करने का विचार करना चाहिए। विभाग द्वारा आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा को प्रतिवेदनों पर कार्यवाही किये जाने हेतु सुसंगत निर्देश भी जारी किये जाने चाहिए ।

6.7 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य आबकारी विभाग की 19 इकाइयों के अभिलेखों की मापक जाँच में अवसूली/कम वसूली/आबकारी शुल्क तथा अनुज्ञापत्र शुल्क की हानि एवं अन्य अनियमितताओं के ₹ 100.63 करोड़ सन्निहित के 3,940 प्रकरण हमारे ध्यान में आये जो कि निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	आबकारी शुल्क एवं अनुज्ञापत्र शुल्क की अवसूली/कम वसूली	532	94.76
2.	मदिरा की अधिक क्षति के कारण आबकारी शुल्क की हानि	2,000	0.74
3.	अन्य अनियमितताएँ	1,408	5.13
योग		**3,940**	**100.63**

वर्ष 2011-12 के दौरान विभाग ने 3,415 प्रकरणों में ₹ 21.93 करोड़ की अवसूली/कम वसूली तथा अन्य अनियमितताएँ स्वीकार की। जिसमें से 644 प्रकरणों में ₹ 2.90 करोड़ सन्निहित के वर्ष 2011-12 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये गये थे। शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये थे। विभाग ने 2,641 प्रकरणों में ₹ 2.76 करोड़ की वसूली की जिनमें 142 प्रकरण ₹ 0.24 करोड़ सन्निहित के वर्ष 2011-12 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे।

कुछ निदर्शी टिप्पणियां ₹ 2.01 करोड़ सन्निहित की अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शायी जा रही है।

6.8 चिरे हुए डोडा पोस्त के विक्रय एवं उपभोग से प्राप्तियां

6.8.1 परिचय

भारत विश्व में अफीम (पेपेवर सोमनी फेरम) का सबसे बडा वैध उत्पादक है, जिसे निर्यात के साथ-साथ घरेलू औषधि बनाने के उद्योग द्वारा उपयोग में लाई जाती है। अफीम, बहुत सी स्वापक सहित मार्फीन (और इसकी व्युत्पाद हेरोइन), थिवेन, कोडीन, पेपेवराइन तथा नास्कापईन का स्त्रोत है। अफीम का फसल चक्र अक्टूबर से मई तक चलता है। फरवरी-मार्च के महीने में अफीम का डोडा चीरा लगाने या रस निकालने के लिये तैयार होता है।

भारत सरकार के स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ (स्वा.औ.म.प.) अधिनियम, 1985 एवं इसके अधीन बनाये नियम, अफीम, पोस्त की खेती को विनियमित करते हैं। केन्द्र सरकार, तहसील/जिलेवार अनुमति हेतु अधिसूचना जारी करती है तथा केन्द्रीय नारकोटिक्स विभाग (के.ना.वि.) कृषकों को अनुज्ञापत्र स्वीकृत करता है। फसल से कच्ची अफीम का संग्रहण तथा उसका नियंत्रण केन्द्रीय नारकोटिक्स विभाग द्वारा किया जाता है।

अफीम डोडा

अफीम की डोडियों से कच्ची अफीम निकालने के बाद उसे चिरे हुये डोडा पोस्त (एल.पी.एच.)/पोस्ततृण/डोडा के रूप में जाना जाता है। यह एक प्रतिबंधित वस्तु है तथा खुदरा अनुज्ञाधारियों द्वारा राज्य आबकारी विभाग द्वारा स्वा.औ.म.प. नियमों के अधीन, जारी परमिटधारियों को ही इसका विक्रय किया जा सकता है। स्वा.औ. म.प. अधिनियम, 1985 की धारा 10 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा चि.डो.पो. का संग्रहण किया जाता है।

राजस्थान में चि.डो.पो. को रखने, परिवहन, अन्तर्राज्यीय आयात, अन्तर्राज्यीय निर्यात भण्ड़ारण, विक्रय, क्रय एवं उपभोग की अनुमति एवं विधान हेतु राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (रा.स्वा.औ.म.प.) नियम, 1985 बनाये है।

रा.स्वा.औ.म.प. नियम, 1985 के नियम 26 के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा रा.स्वा.औम.प. अधिनियम, 1985 की धारा 9 की उप धारा(ii) के अन्तर्गत बनाये नियम के अधीन जारी अनुज्ञाधारी के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अफीम की खेती नहीं कर सकता है। भारत सरकार के के.ना.वि. के जिला अफीम अधिकारी द्वारा अफीम या पोस्ततृण के उत्पादन हेतु प्रपत्र-1 में अनुज्ञापत्र जारी किया जाता है।

रा.स्वा.औ.म.प. नियम, 1985 के नियम 27 के प्रावधानों के अनुसार, नियम 26 के अन्तर्गत अनुज्ञाधारी प्रत्येक कृषक, प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल तक क्षेत्र के जिला आबकारी अधिकारी को उस भूमि के सम्बन्ध में जिसमें उसने खेती की है तथा उसके द्वारा पैदा की गई फसल के प्रत्येक रूप से सम्बधित चि.डो.पो. के भण्ड़ार की घोषणा प्रारूप 'ग' में प्रस्तुत करेगा और उसे भण्ड़ारण करने के लिये उसके द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले प्रत्येक भवन या स्थान की भी घोषणा करेगा।

रा.स्वा.औ.म.प. नियम, 1985 के नियम 34(i)(अ) के अन्तर्गत प्रारूप ''एन.डी.पी. एस.एल.-7'' में थोक अनुज्ञापत्र जारी किये जाते है। चि.डो.पो. के थोक अनुज्ञाधारी, चिरे हुए डोडा पोस्त की डोडियों को सीधे ही किसानों से एकत्रित करते है तथा इसका भण्ड़ारण बिना शुल्क के बंधित भण्ड़ारगृह में करते है। जब चिरे हुए डोडा पोस्त का स्थानान्तरण थोक अनुज्ञाधारी के थोक गोदाम में किया जाता है तब थोक अनुज्ञाधारी द्वारा शुल्क का भुगतान किया जाता है जो स्वयं एक बंधित भण्ड़ारगृह रख सकता है।

रा.स्वा.औ.म.प. नियम, 1985 के नियम 34(i)(बी) के अन्तर्गत खुदरा विक्रय के अनुज्ञापत्र प्रारूप-एन.डी.पी.एस.एल.-8 में जारी किये जाते है। चिरे हुए डोडा पोस्त के खुदरा अनुज्ञाधारी, चिरे हुए डोडा पोस्त की प्राप्ति, इसके थोक अनुज्ञाधारी से, विभाग द्वारा जारी परमिटों के आधार पर, परमिट फीस चुकाने के बाद करते हैं।

6.8.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

राजस्थान में अफीम की खेती एवं उत्पादन 7 जिलों[1] मे होती है जबकि चि.डो.पो. के उपभोग का क्षेत्र 10 जिला आबकारी अधिकारियों[2] के क्षेत्राधिकार में फैला हुआ है। इनमें से हमने उत्पादन क्षेत्र के चार जिला आबकारी अधिकारियों[3] तथा खपत क्षेत्र के पांच जिला आबकारी अधिकारियों[4] के वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के लेखों की जांच फरवरी से मई 2012 में की गई। जिला आबकारी अधिकारियों का चयन उनके चि.डो.पो. के अधिकतम उत्पादत एवं खपत क्षेत्र के आधार पर किया गया।

[1] बारां, भीलवाड़ा, चित्तौडगढ़, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ और उदयपुर।

[2] अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर (ग्रामीण), झुन्झुनु, जोधपुर, पाली, नागौर और श्रीगंगानगर।

[3] बारां, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और प्रतापगढ़।

[4] बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जोधपुर और श्रीगंगानगर।

विभाग की कार्यकुशलता तथा पर्याप्तता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मापक जांच की गई कि क्या डोडा पोस्त का संग्रहण, विक्रय, उपभोग, आबकारी शुल्क, अनुज्ञा शुल्क तथा देय अन्य प्रभारों का संग्रहण अधिनियमों/नियमों, नियमावलियों तथा राज्य आबकारी नीति के अनुसार किया जा रहा है। लेखापरीक्षा टिप्पणियों का आगामी अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है।

6.8.3 चिरे हुए डोडा पोस्त से राजस्व

चिरे हुए डोडा पोस्त से राजस्व मुख्यत: थोक एवं खुदरा अनुज्ञाधारियों से अनुज्ञा शुल्क, इसके विक्रय पर आबकारी शुल्क तथा परमिट शुल्क की वसूली के रूप में प्राप्त होता है। वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान प्राप्त किया गया राजस्व निम्नानुसार दर्शाया गया है:

संग्रहण वर्ष	कुल संग्रहित आबकारी राजस्व[5]	चिरे हुए डोडा पोस्त से वसूल किया गया राजस्व				चिरे हुए डोडा पोस्त से प्राप्त राजस्व का कुल आबकारी राजस्व से प्रतिशत
		नवीनीकरण शुल्क सहित अनुज्ञा शुल्क	आबकारी शुल्क	परमिट शुल्क	योग	
2009-10	2300.48	67.84	5.94	0.68	74.46	3.24
2010-11	2861.45	77.47	6.96	0.80	85.23	2.98

स्रोत:- विभाग द्वारा उपलब्ध कराई सूचना के अनुसार।

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि कुल आबकारी राजस्व की तुलना में चिरे हुए डोडा पोस्त से प्राप्त राजस्व की मात्रा बहुत कम थी किन्तु विभिन्न स्तरों पर छीजत (अर्थात इसके उत्पादन, संग्रहण तथा विक्रय) जो कि बहुत अधिक समाजिक तथा आर्थिक असर रखती है, पर चिरे हुए डोडा पोस्त के राज्य में संग्रहण एवं उपभोग को नियंत्रित करने वाले विभाग के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान चर्चा की गई है।

[5] देशी प्रासव, माल्ट मदिरा और प्रासव, व्यवसायिक प्रासव, भांग, चिरी हुई डोडा पोस्त पर शुल्क तथा अन्य सम्मिलित है।

6.8.4 चिरे हुए डोडा पोस्त के उत्पादन, संग्रहण और उपभोग का सचित्र प्रस्तुतिकरण

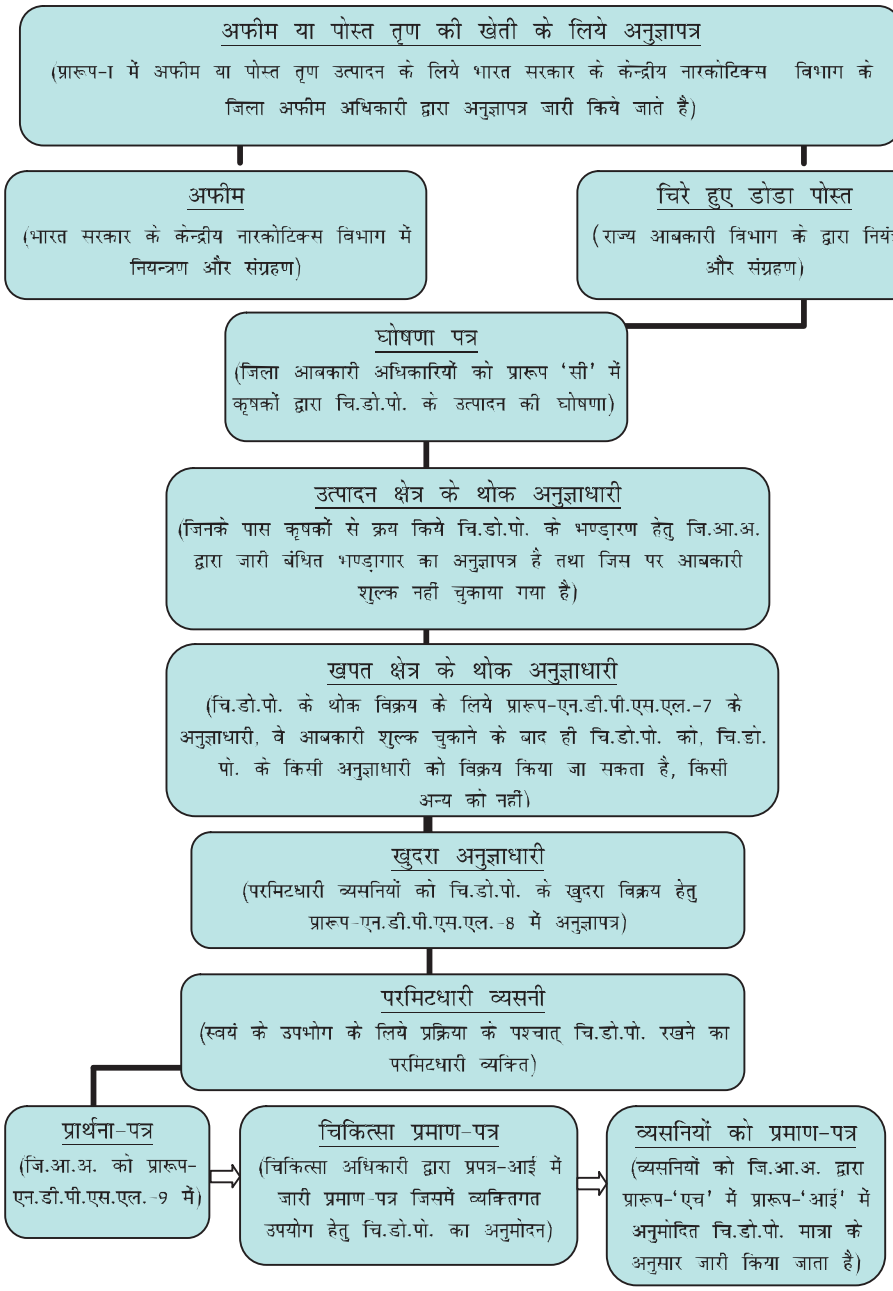

लेखापरीक्षा टिप्पणियां

अ. पंजीकृत किसानों द्वारा चिरे हुए डोडा पोस्त के कुल उत्पादन की प्रारूप-'सी' में घोषणा

6.8.5 घोषणा पत्रों का प्रस्तुत/संग्रहण नहीं करना

रा.स्वा.औ.म.प. नियम, 1985 के नियम 27 के अनुसार नियम 26 के अधीन अनुज्ञाधारी प्रत्येक कृषक प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल तक क्षेत्र के जिला आबकारी अधिकारी को उस भूमि के सम्बंध में जिसमें उसने अफीम तृण की खेती की है और उसके द्वारा पैदा की गई फसल के प्रत्येक रूप से संबंधित चिरे हुए डोडा पोस्त के भण्ड़ार की घोषणा प्रारूप 'सी' में करेगा। राज्य सरकार द्वारा (अगस्त 2004) में विभाग को, घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले कृषकों के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण पंजीकृत करने के निर्देश जारी किये गये थे।

आबकारी विभाग के अनुरोध के अनुसरण (जुलाई 2010) में एग्रोनोमी विभाग राजस्थान, कृषि महाविधालय, उदयपुर (एम.पी.यू.ए.टी) द्वारा 500 से 600 कि.ग्रा. चि.डो.पो. प्रति हेक्टेयर उपज (जुलाई 2010)में सूचित की थी।

प्रत्येक वर्ष राज्य आबकारी विभाग केन्द्रीय नारकोटिक्स विभाग से पंजीकृत अफीम के कृषकों की सूची प्राप्त करता है। चार जिला आबकारी अधिकारियों [6] द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना (फरवरी से मई 2012) के अनुसार वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में 41,454 कृषकों द्वारा 13,789.75 हेक्टेयर भूमि में अफीम की खेती की गई थी। इनमें से मात्र 28,695 कृषकों ने घोषणा पत्र विभाग को प्रस्तुत किये थे, जिनके अनुसार 7,389.91 हेक्टेयर भूमि में 40,523.40 क्विंटल चि.डो.पो. की पैदावार दर्शायी गयी थी। जिसके परिणामस्वरूप 548 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन था।

मापक जांच की गई इकाईयों में यह देखा गया कि जिला आबकारी अधिकारी एक पंजिका का संधारण कर रहे थे, जिसमें उन कृषकों के नाम दर्शाये गये थे जिन्होंने घोषणा पत्र प्रस्तुत किये थे। किन्तु वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के 6,399.84 हेक्टेयर भूमि से संबंधित शेष रहे 12,759 अनुज्ञाधारी कृषकों के नामों का उल्लेख पंजिका में नहीं किया गया था। विभाग के विद्यमान-न्यूनतम प्रति हेक्टेयर उत्पादन के अनुसार ₹ 160 करोड़[7] मूल्य की 31,999.20 क्विंटल चिरे हुए डोडा पोस्त

[6] बारां, चित्तोड़गढ़, झालावाड़ और प्रतापगढ़।

[7] 31,99,920 किलोग्राम चिरे हुए पोस्त की डोडियों (अनुमानित उत्पादन) x ₹ 500 (खुदरा विक्रय मुल्य) = ₹ 160 करोड़।

का उत्पादन इस भूमि से होना चाहिये था। विभाग द्वारा उक्त चि.डो.पो. संग्रहण किया जाना चाहिये था यदि इसकी आवश्यता नहीं थी तो उसे नष्ट किया जाना चाहिये था। इसके अतिरिक्त यह पाया कि विभाग द्वारा न तो अपराध रजिस्टर में किसी भी कृषक के विरूद्ध कोई अपराध पंजीकृत किया गया था और न ही स्थल जांच/छापों की कार्यवाही की गई थी। विभाग द्वारा केन्द्रीय नारकोटिक्स विभाग को ऐसे दोषी कृषकों की रिपोर्ट भी नहीं की थी तथा ना ही उन कृषकों से घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने हेतु अण्डरटेकिंग लेने हेतु अनुरोध किया गया था। 31,999.20 क्विंवटल चि.डो.पो. जिसकी अनुमानित कीमत ₹ 160 करोड़ थी की अवैध बिक्री की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आबकारी अधिकारियों द्वारा भी शेष रहे 12,759 अनुज्ञाधारी कृषकों से घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इसे ध्यान में लाने पर सरकार ने बताया (अगस्त 2012) कि अनुज्ञाधारियों ने चि.डो.पो. को आवश्यकतानुसार क्रय किया था। कृषकों द्वारा 31 जुलाई तक चि.डो.पो. को बेचना या नष्ट करना था। इसके बाद, आबकारी निरीक्षकों द्वारा एक आकस्मिक भौतिक सत्यापन किया गया था। किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर, कृषकों के विरूद्ध अपराध पंजीकृत किये गये थे।

उत्तर रा.स्वा.औ.म.प. नियम, 1985 के नियम 27 के अनुसार नहीं है जो कि प्रत्येक कृषक को क्षेत्र के जिला आबकारी अधिकारी को प्रारुप-'सी' में 1 अप्रैल को सत्य घोषणा प्रस्तुत करने को बाध्य करता है। इसके अतिरिक्त अभिलेखों में विभाग द्वारा की गई जांचों/छापों की संख्याओं का उल्लेख नहीं दर्शाया गया था। चयन किये गये चार जिला आबकारी अधिकारियों में से दो जिला आबकारी अधिकारी क्रमशः झालावाड़ व बारां के आबकारी निरीक्षकों द्वारा 1 वर्ष की अवधि की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट बनायी गई थी। अन्य दो जिला आबकारी कार्यालयों में भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट नहीं पायी गयी। हमने इन अधिकारियों द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन में विभिन्न कमियां पायी (जैसा कि पैराग्राफ 6.8.6 में चर्चा की गई) जो कि विभागीय कार्यवाही की विश्वसनीयता में कमी को दर्शाती है।

विभाग द्वारा ऐसी प्रणाली तैयार करनी चाहिए जिससे दोषी कृषकों की सूची केन्द्रीय नारकोटिक्स विभाग को भेजी जा सके जिससे उनके द्वारा ऐसे दोषी कृषकों के द्वारा आगामी वर्षों में अफीम की खेती करने के अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण पर पुनः विचार किया जा सके।

6.8.6 आबकारी निरीक्षक द्वारा बनाई गई भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन/पंचनामा फर्द

आबकारी आयुक्त, उदयपुर द्वारा जारी परिपत्र (जुलाई 1977) के अनुसार आबकारी निरीक्षक को यह सुनिश्चित करना था कि सभी कृषकों द्वारा निर्धारित समय अवधि में घोषणा-पत्र प्रस्तुत कर दिये गये थे।

आबकारी निरीक्षकों को उन कृषकों के स्थल की जांच तुरन्त करनी थी जिन्होंने निर्धारित समय अवधि में घोषणा-पत्र (100 प्रतिशत) प्रस्तुत नहीं किये थे। 10 प्रतिशत तक उन कृषकों के स्थल की जांच करनी थी, जिन्होंने घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये थे।

मापक जांच किये गये चार जिला आबकारी अधिकारियों में से आबकारी निरीक्षकों द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन की सूचना सिर्फ दो जिला आबकारी अधिकारियों क्रमशः झालावाड़ (सिर्फ 2009-10 हेतु) और बारां (सिर्फ 2010-11 हेतु) द्वारा उपलब्ध कराई गयी। शेष दो जिला आबकारी अधिकारियों के अभिलेखों में इस बाबत कोई उल्लेख नहीं था कि आबकारी निरीक्षकों द्वारा दोषी कृषकों के बारे में जांच की गई थी। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के लिये कोई प्रारूप निर्धारित नहीं किया गया था। भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों में निम्नलिखित कमियां पायी गयी:

- जिला आबकारी अधिकारी, झालावाड़ के निरीक्षक द्वारा एक ही तारीख में दो 'पंचनामा फर्द' एक कृषक के लिये तथा विभागीय उपयोग हेतु तैयार की थी। दोनों 'पंचनामा फर्द' पर कृषक के हस्ताक्षर एक दूसरे से भिन्न थे।

- जिला आबकारी अधिकारी, बारां के निरीक्षक द्वारा चि.डो.पो. के संग्रहण वर्ष 2010-11 के दौरान 2,372 कृषकों की 138 पंचनामा/फर्द तैयार की थी लेकिन उनमें, भौतिक सत्यापन अथवा पंचनामा फर्द तैयार करने की तारीख का अंकन नहीं था। जिसके अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या भौतिक सत्यापन स्थल पर किया गया था और भौतिक सत्यापन किस वर्ष से संबंधित था। इसके आगे, समस्त 138 पंचनामा फर्दो में भौतिक सत्यापन के दौरान पायी गयी चि.डो.पो. की मात्रा तथा कृषकों द्वारा नष्ट की गयी चि.डो.पो. की मात्रा 'शून्य' दिखायी गयी थी जबकि मात्र 1,259 कृषकों के घोषणा-पत्र, उत्पादन क्षेत्र के थोक अनुज्ञाधारियों द्वारा विभाग को प्रस्तुत किये गये थे। शेष 1,113 कृषकों (2,372 में से) द्वारा घोषणा-पत्र प्रस्तुत नहीं किये थे फिर भी उन्हें केन्द्रीय नारकोटिक्स विभाग द्वारा अनुज्ञापत्र अनुमोदित किये गये थे।

ध्यान में लाने पर सरकार द्वारा लेखापरीक्षा अभियुक्ति को स्वीकार किया (अगस्त 2012) और विभाग को भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों में, तारीख और मात्रा का आवश्यक अंकन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया।

ऐसे प्रकरण, विभाग द्वारा कृषकों के 31 जुलाई के पश्चात चि.डो.पो. की उपलब्धता/अनुपलब्धता के बारे में भौतिक सत्यापन पर नियंत्रण को सुदृढ़ करने की आवश्यकता की ओर इंगित करते है। विभाग को भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के लिये प्रारूप निर्धारित करना चाहिए।

6.8.7 कृषकों द्वारा घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने के स्थान पर थोक अनुज्ञाधारियों द्वारा संग्रहित करना

स्वा.औ.म.प. नियम, 1985 के नियम 27 के अनुसार प्रत्येक अनुज्ञाधारी कृषक द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को क्षेत्र के जिला आबकारी अधिकारी को घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होता है।

6.8.7.1 चार जिला आबकारी अधिकारियों[8] द्वारा कृषकों से स्वीकार किये गये घोषणा-पत्रों की नमूना जांच में पाया कि समस्त घोषणा-पत्र कृषकों के स्थान पर, उत्पादन क्षेत्र के थोक अनुज्ञाधारी द्वारा प्रस्तुत किये गये थे। चि.डो.पो. के क्रय के लिये थोक अनुज्ञाधारियों ने परमिट हेतु आवेदन के साथ उन कृषकों के घोषणा-पत्र संलग्न किये थे जिनसे वह चि.डो.पो. क्रय करना चाहता था।

चूंकि विभाग द्वारा उत्पादन क्षेत्र के थोक अनुज्ञाधारियों को पंजीकृत कृषकों से घोषणा-पत्र, संग्रहण हेतु अनुमति दी थी। अतः उत्पादन क्षेत्र के थोक अनुज्ञाधारियों द्वारा समस्त परमिटधारी कृषकों से घोषणा-पत्रों का संग्रहण किये जाने और उन्हे विभाग को प्रस्तुत नहीं करने तथा चि.डो.पो. के समस्त उत्पादन को संग्रहित करने की आशंका से इन्कार नही किया जा सकता। आगामी पैराग्राफों में वर्ष 2009-11 के दौरान थोक अनुज्ञाधारियों के साथ-साथ खुदरा अनुज्ञाधारियों द्वारा नुकसान में व्यापार करने के तथ्यों पर चर्चा की गई है, जो विभाग द्वारा चि.डो.पो. के संग्रहण और निस्तारण के लिये अपनाई गई तंत्र व्यवस्था पर शंकायें उत्पन्न करती है।

ध्यान में लाने पर सरकार ने (अगस्त 2012) में बताया कि प्रचलित व्यवस्था के अन्तर्गत घोषणा-पत्र के संग्रहण का कार्य थोक अनुज्ञाधारियों को सौंपा गया था। फिर भी यह तथ्य रहता है कि स्वा.औ.म.प. नियम, 1985 के नियम 27 के प्रावधानों की अवहेलना के परिणामस्वरूप हुई अनियमितताओं को आगामी पैराग्राफों में दर्शाया गया है।

6.8.7.2 घोषणा-पत्रों में कृषकों के स्थान पर अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर होना

प्रतापगढ़ जिले के 28,475 कि.ग्रा. से सम्बन्धित 143 घोषणा-पत्र तथा 18,090 कि.ग्रा. चि.डो.पो. से सम्बन्धित 125 घोषणा-पत्रों में देखा गया कि वे कृषकों के नाम सहित प्रस्तुत किये गये थे परन्तु उनमें हस्ताक्षर अन्य व्यक्तियों के थे।

[8] बारां, चित्तोड़गढ़, झालावाड़ और प्रतापगढ़।

यह भी पाया कि कुछ घोषणा-पत्रों में कृषकों के रिश्तेदारों के हस्ताक्षर थे। जिन्हे विभाग द्वारा स्वीकार किया गया था। इस प्रकार थोक अनुज्ञाधारियों को चि.डो.पो. के संग्रहण हेतु परमिट जारी करने से पूर्व, विभाग द्वारा घोषणा-पत्रों की उचित प्रति-सत्यापन जांच नहीं की गई थी।

ध्यान में लाने पर, सरकार ने (अगस्त 2012) ने बताया कि कृषकों की स्थान पर उपलब्धता नहीं होने के कारण विभाग द्वारा उनके रिश्तेदारों से घोषणा-पत्र स्वीकार किये गये थे। फिर भी भविष्य में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित हस्ताक्षर, रिश्तेदारी बाबत अंकन और अन्य अनियमितताओं संबंधी कड़ी नजर रखा जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

6.8.8 अपूर्ण घोषणा-पत्र स्वीकार करना

घोषणा-पत्र में, कृषक उसके द्वारा की गई अफीम तृण की खेती की भूमि के क्षेत्र तथा इससे सम्बन्धित चि.डो.पो. के फसल का अंकन करेगा। वह चि.डो.पो. के भण्ड़ारण हेतु उपयोग में लिये या लाये जाने वाले प्रत्येक भवन, स्थान फसल चक्र का वर्ष व प्रपत्र प्रस्तुत करने की दिनांक की भी घोषणा करेगा।

वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान, उत्पादन क्षेत्र के थोक अनुज्ञाधारियों द्वारा जिला आबकारी अधिकारियों से चि.डो.पो. के संग्रहण हेतु परमिट प्राप्ति के लिये प्रस्तुत घोषणा पत्रों की जांच में निम्नलिखित बातों का पता चला:

- चि.डो.पो. से संबंधित, प्रतापगढ़ जिले के दो ग्रामों के तीन प्रकरण जिनमें 460 कि.ग्रा. तथा चित्तौडगढ़ जिले के 13 ग्रामों के 30 प्रकरण जिनमें 3,940 कि.ग्रा. चि.डो.पो. की निहित मात्रा के घोषणा-पत्रों में कृषकों के हस्ताक्षर नहीं थे।

- चित्तौडगढ़ जिले के दो ग्रामों के 25 में से 13 घोषणा-पत्रों में सिर्फ अंगूठा निशानी पायी गई, जिनमें कृषक का कोई मार्क/नाम नहीं होने के कारण, उसकी सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकी।

- झालावाड़ जिले के एक ग्राम के 19 में से 17 घोषणा-पत्र तथा बारां जिले के एक ग्राम के सात मे से एक घोषणा-पत्र में कृषकों द्वारा चि.डो.पो. की उत्पादित मात्रा अंकित नहीं थी। विभाग द्वारा अपने लेखों में इन प्रकरणों बाबत क्रमशः 1,295 कि.ग्रा. तथा 120 कि.ग्रा. चि.डो.पो. की मात्रा का तद्नुसार पंजिकाओं[9] में अंकन किया था। यह सब किसानों से बिना किसी सत्यापन के किया गया।

[9] जिला आबकारी अधिकारी द्वारा एक पंजिका का संधारण किया जाता है जिसमें कृषक की पूर्ण जानकारी डोडा पोस्त की उत्पादन मात्रा के साथ, घोषणा पत्र जो कि स्वीकार किया जा चुका था और परमिट जो कि उत्पादक क्षेत्र के थोक अनुज्ञाधारी को चि.डो.पो. के संग्रहण हेतु जारी किया गया था।

- झालावाड़ जिले के दो ग्रामों के समस्त 33 प्रकरणों और बारां जिले के चार ग्रामों के समस्त 8 प्रकरणों में घोषणा-पत्रों को कांट-छांट सहित स्वीकार किया था, जिनमें चि.डो.पो. की मात्रा को या तो अधिक या कम दर्शाया गया था। कांट-छांट के उपरान्त भी उत्पादन क्षेत्र के थोक अनुज्ञाधारियों को चि.डो.पो. के परमिट जारी किये गये थे। यह भी पाया कि बारां जिले के उपरोक्त 8 प्रकरणों में घोषणा-पत्र स्वीकार करने के प्रमाण में, आबकारी निरीक्षक के हस्ताक्षर नहीं थे, जबकि घोषणा-पत्र स्वीकार करने से पूर्व हस्ताक्षर करना आवश्यक था।

- चित्तौडगढ़ जिले के 7 ग्रामों के समस्त 143 घोषणा-पत्र फसल वर्ष और प्रस्तुतिकरण की तारीख के अंकन बिना स्वीकार किये गये थे। तारीख के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि ये घोषणा-पत्र निर्धारित अवधि में प्राप्त किये गये थे।

- चित्तौडगढ़ जिले के दो ग्रामों के 25 में से 17 घोषणा-पत्र तथा बारां जिले के चार ग्रामों में 8 घोषणा-पत्रों चि.डो.पो. के भण्ड़ारण या भण्ड़ारण हेतु उपयोग में लिये जाने वाले भवन का उल्लेख नहीं था, जिसके अभाव में विभाग कृषकों के पास चि.डो.पो. के भण्ड़ार का भौतिक सत्यापन नहीं कर सका था।

- झालावाड़ जिले के दो ग्रामों के 13 कृषकों द्वारा प्रस्तुत दोहरे घोषणा-पत्रों में उनके द्वारा उत्पादित चि.डो.पो. की पृथक-पृथक मात्रा का उल्लेख था। विभाग द्वारा सत्यापन किये बिना दोनों घोषणा-पत्रों को स्वीकार कर चि.डो.पो. के संग्रहण हेतु परमिट जारी किये गये थे।

घोषणा-पत्रों में उल्लेखित चि.डो.पो. की मात्रा तथा विभाग द्वारा संधारित पंजिकाओं में दर्शायी मात्रा मे अन्तर था। उदाहरण के लिये झालावाड़ जिले के दो कृषकों द्वारा दर्शायी गयी मात्रा से, 97 कि.ग्रा. अधिक चि.डो.पो. की मात्रा का उल्लेख पंजिकाओं में था और विभाग द्वारा थोक अनुज्ञाधारियों को अधिक मात्रा का परमिट जारी किया गया था, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

क्र.सं.	कृषक का नाम	ग्राम/तहसील	क्षेत्र (ऐयर में)	घोषित मात्रा	पंजिकाओं में दर्शायी मात्रा	अधिक मात्रा
1	भोलेसिंह/भवानी सिंह	हरनावदा/गंगधार	30	44	76	32
2	चंडी बाई/बाला राम	सेमलिया/पिडावा	30	56	121	65
योग						**97**

स्रोत: जिला आबकारी अधिकारी, झालावाड़ से संग्रहित सूचना।

ध्यान में लाने पर सरकार ने अभियुक्तियां स्वीकार की (अगस्त 2012) और विभाग को इस प्रकार की त्रुटियां भविष्य में नहीं दोहराने की सुनिश्चितता बाबत निर्देशित किया।

उपरोक्त टिप्पणियां यह दर्शाती है कि जब विभाग थोक अनुज्ञाधारियों को परमिट प्रदान कर रहा था तब घोषणा-पत्रों में दिये गये विवरण की सत्यता के सत्यापन की ओर ध्यान नहीं दिया गया। इस प्रकार अधूरे, अहस्ताक्षरित और सम्भवत: जाली घोषणा-पत्रों के आधार पर परमिट जारी किये गये।

विभाग को, सुधार हेतु, एक उपयुक्त तरीका अपनाना चाहिए या इस प्रकार की कमियों से बचने हेतु एक व्यवस्था की स्थापना करनी चाहिये।

6.8.9 स्वीकार किये गये घोषणा-पत्रों के कृषकों से चि.डो.पो. का असंग्रहण

वर्ष की 31 जुलाई तक कृषक चि.डो.पो. के उत्पादन को रख सकेगा और इस अवधि में या तो चि.डो.पो. को बेचेगा या उसके पास रखी चि.डो.पो. को जलाकर नष्ट करेगा। कृषक केवल बंधित भण्ड़ागारधारी थोक अनुज्ञाधारियों को ही, जिला आबकारी अधिकारी द्वारा परमिट जारी करने के बाद चि.डो.पो. का विक्रय कर सकते है।

वर्ष 2010-11 के दौरान जिला आबकारी अधिकारी द्वारा स्वीकार किये गये घोषणा-पत्रों की मापक जांच में यह पाया गया कि विभाग द्वारा, 224 कृषकों के 37,953 कि.ग्रा. चि.डो.पो. की मात्रा के घोषणा-पत्र जिनका मूल्य ₹ 1.90 करोड़[10] था और ₹ 13.28 लाख[11] आबकारी शुल्क की राशि निहित थी, राशमी तहसील के नौ ग्रामों, कपासन तहसील के तीन ग्रामों और गंगरार तहसील के दो ग्रामों के, विभाग द्वारा स्वीकार किये गये थे। चि.डो.पो. की इस मात्रा का उल्लेख विभाग द्वारा संधारित पंजिकाओं में करना पाया गया था परन्तु न तो जिला आबकारी चित्तौडगढ़ द्वारा चि.डो.पो. के संग्रहण हेतु कोई परमिट थोक अनुज्ञाधारी को जारी करना पाया गया और न ही चि.डो.पो. को, कृषकों द्वारा जलाने का कोई साक्ष्य अभिलेखों में पाया गया। इससे चि.डो.पो. के अवैध बिक्री की संभावना से इन्कार नही किया जा सकता तथा विभाग द्वारा जांच किये जाने की आवश्यकता है।

ध्यान में लाये जाने पर सरकार ने बताया (अगस्त 2012) कि कपासन राशमी समूह के थोक अनुज्ञाधारी द्वारा 314.53 क्विंटल चि.डो.पो. का संग्रहण राशमी और कपासन तहसील के कृषकों से अपने कपासन बंधित भण्ड़ारगार में किया था तथा चित्तौडगढ़ गंगरार समूह के थोक अनुज्ञाधारी द्वारा गंगरार तहसील के कृषकों से 65.00 क्विंटल चि.डो.पो. का संग्रहण अपने जोजरों का खेड़ा, बंधित भण्ड़ागार

[10] चि.डो.पो. की मात्रा 37,953 कि.गा. x ₹ 500 प्रति कि.ग्रा की दर से चि.डो.पो. का विक्रय मूल्य = ₹ 189.77 लाख।

[11] चि.डो.पो की मात्रा 37,953 पर ₹ 35 प्रति कि.ग्रा दर से आबकारी शुल्क = ₹ 13.28 लाख।

में किया था। बंधित भण्ड़ागारों के भौतिक सत्यापन करने पर (20.6.2010 से 25.6.2010) विभाग ने पाया कि 444.76 क्विंवटल कपासन बंधित भण्ड़ागार में तथा 127.01 क्विंवटल जोजरों का खेड़ा बंधित भण्ड़ागार में चि.डो.पो. भण्डार पंजिकाओं में दर्ज मात्रा से अधिक पायी गई थी। दोनों अनुज्ञाधारियों के विरूद्ध चि.डो.पो. के अवैध संग्रहण बाबत एक प्रकरण दर्ज किया गया था (12.07.2010) और अतिरिक्त आयुक्त आबकारी, जोन उदयपुर द्वारा, प्रत्येक अनुज्ञाधारी से ₹ 5.25 लाख आरोपित कर 27.09.2010 संयोज्य किया था। दोंनों अनुज्ञाधारियों से, अधिक स्टॉक पर दुगने आबकारी शुल्क के रूप में ₹ 40.02 लाख[12] वसूल किये गये थे तथा भण्ड़ागार सुविधा तुरन्त प्रभाव से वापस ले ली गयी थी।

यह देखा गया कि विभाग ने अनुज्ञाधारियों के विरूद्ध स्वा.औ.म.प. अधिनियम, 1985 की धारा 26डी और 32 तथा स्वा.औ.म.प. नियम 43(2)के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज किये थे, जिनमें अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 6 के अनुसार, अपराध गंभीर प्रकृति का होने के कारण अनुज्ञापत्रों को निरस्त किया जाना चाहिए था। उपरोक्त तथ्य यह दर्शाते है कि विभाग घोषणा-पत्रों की प्राप्ति के समय कोई कार्यवाही कर लेता तो अवैध संग्रहण से बचा जा सकता था।

6.8.10 उत्पादन क्षेत्र के थोक अनुज्ञाधारी द्वारा बिना चिरे हुए डोडा पोस्त[13] का संग्रहण

प्राकृतिक आपदा के कारण अफीम की खेती क्षतिग्रस्त हो सकती है। प्राकृतिक आपदा से राहत देने के लिये केन्द्रीय नारकोटिक्स विभाग की देखरेख में कृषकों को क्षतिग्रस्त फसल को आंशिक या पूरी उखाड़ने की अनुमति दी जाती है। प्रत्येक आंशिक या पूरी तरह उखाड़ने बाबत पंचनामा बनाया जाता है और व्यक्तिगत के साथ-साथ संयुक्त रूप से अनुज्ञापत्र में इसका इन्द्राज किया जाता है।

रा.स्वा.औ.म.प नियमावली, 1985 के नियम 34 के अनुसार केवल चि.डो.पो. के संग्रहण तथा विक्रय के लिये अनुज्ञापत्र जारी किये जाते है, न कि बिना चि.डो.पो. के संग्रहण और विक्रय के लिये जैसा कि नियम 32 में वर्णित है।

जिला आबकारी अधिकारियों चित्तौडगढ़ तथा झालावाड़ द्वारा फसल वर्ष 2009-10 हेतु, स्वीकार किये गये घोषणा-पत्रों की नमूना जांच में यह पाया गया कि, विभाग ने उत्पादन क्षेत्र के थोक अनुज्ञाधारी द्वारा प्रस्तुत उन कृषकों के घोषणा-पत्रों को स्वीकारा किया था, जिनकी फसल को खराब होने या अन्य कारणों से पूरी तरह उखाड़ा गया था।

[12] 44,476 कि.ग्रा + 12,701 कि.ग्रा. 3.7177 कि.ग्रा x ₹ 70 = ₹ 40,02,390

[13] कच्ची अफीम में से अफीम निकालने से पूर्व का डोडा

गांव के लम्बरदार[14] द्वारा संधारित कृषकों के अभिलेखों में इस विषय में कि बिना चि.डो.पो. को पूरी तरह उखाड़ा गया तथा शेष शून्य की प्रविष्टियां अंकित थी। जिनकी प्रतिलिपियां घोषणा-पत्रों के साथ संलग्न की गई थी। इन परिस्थितियों में अनुज्ञाधारी द्वारा बिना चि.डो.पो. का संग्रहण नहीं करना चाहिए था और इन्हें नष्ट करना चाहिए था।

क्र. सं.	जिला आबकारी अधिकारी का नाम	कृषकों की संख्या	बिना चिरे डोडा पोस्त की संग्रहित मात्रा (कि.ग्रा. में)
1.	चित्तौडगढ़	23	2,605
2.	झालावाड़	139	9,155
योग		**162**	**11,760**

स्रोत: सूचना जिला आबकारी अधिकारी चित्तौडगढ़ और झालावाड़ से संग्रहित की गई।

फिर भी विभाग ने उत्पादन क्षेत्र के थोक अनुज्ञाधारियों को 11,760 कि.ग्रा. बिना चि.डो.पो. के संग्रहण हेतु नियमों और अनुज्ञापत्रों की शर्तों[15] के विरूद्ध परमिट जारी कर दिये थे।

ध्यान में लाने पर, सरकार ने बताया (अगस्त 2012) कि केन्द्रीय नारकोटिक्स विभाग द्वारा उन कृषकों की सूची उपलब्ध नहीं कराई थी जिनकी फसल पूरी तरह उखाड़ दी गयी थी। इसलिये विभाग ने पूर्व में जारी कृषकों की सूची के अनुसार घोषणा-पत्र स्वीकार किये थे।

विभाग द्वारा केन्द्रीय नारकोटिक्स विभाग से उन कृषकों की सूची प्राप्त करने हेतु एक व्यवस्था बनानी चाहिए जिनकी फसल पूरी तरह उखाड़ी जा चुकी है तथा यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुज्ञाधारियों द्वारा सिर्फ चि.डो.पो. का ही संग्रहण किया जावे।

6.8.11 बिना बिकी शेष रही चि.डो.पो. के नष्टीकरण के नियंत्रण में कमी

स्वा.औ.म.प नियम, 1985 के अनुसार प्रत्येक अफीम कृषकों को वर्ष की 31 जुलाई तक या तो चि.डो.पो. को विक्रय करना या नष्ट करना होता है।

जिला आबकारी अधिकारी, बारां चित्तौडगढ़ झालावाड़ और प्रतापगढ़ के अभिलेखों की नमूना जांच में यह देखा गया कि किसी भी कृषक द्वारा बिक्री से शेष रही चि.डो.पो. की मात्रा की सूचना विभाग को प्रस्तुत नहीं की गई थी। जैसाकि पैराग्राफ 6.8.7 में इंगित किया गया है, चि.डो.पो. के उत्पादन से संबंधित घोषणा-पत्र कृषकों की

[14] जिला अफीम अधिकारी (केन्द्रीय नारकोटिक्स विभाग) प्रत्येक ग्राम के अफीम के कृषकों में से एक कृषक को लम्बरदार के रुप मे पदनामित कर सकता है जो रोजाना कृषक द्वारा उत्पादित अफीम को अपने सामने तौलने की व्यवस्था करेगा तथा केन्द्रीय नारकोटिक्स विभाग द्वारा इस सम्बध में बताये अनुसार अपने अभिलेखों मे इस बावत प्रविष्टियां करेगा ।(स्वा.औ.म.प. नियम 1985 के नियम 10 व 13)

[15] थोक अनुज्ञाधारियों को प्रारुप एन.डी.पी.एम.एल-7 में चि.डो.पो के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापत्र जारी किये जाते है।

जगह थोक अनुज्ञाधारी द्वारा प्रस्तुत किये गये थे। परिणामस्वरूप विभाग के पास अधिक या बिना विक्रय की गयी चि.डो.पो. की मात्रा संबंधी सूचना तथा 31 जुलाई तक बिना बिक्री चि.डो.पो. जो नष्ट की जानी थी के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी।

यह देखा गया कि रा.स्वा.औ.म.प. नियम, 1985 में कृषकों द्वारा 31 जुलाई तक बेचे गये या उसके द्वारा जलाये गये चि.डो.पो. के संबंध में सूचना देने की प्रक्रिया का कोई प्रावधान नहीं था। विभाग द्वारा भी इस विषय में कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किये गये थे। चि.डो.पो. के निस्तारण पर उचित और प्रभावी नियंत्रण हेतु विभाग को प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई के तुरन्त बाद कृषक द्वारा प्रस्तुत करने हेतु एक वार्षिक प्रतिवेदन निर्धारित करना चाहिए, जिसमें उत्पादित मात्रा, बेची गयी मात्रा और नष्ट की गयी मात्रा का उल्लेख हो।

ध्यान में लाने पर, सरकार ने बताया (अगस्त 2012) कि नियमों में 31 जुलाई के बाद शेष रहे चि.डो.पो. के नष्टीकरण के बारे में कृषक द्वारा प्रमाण-पत्र या वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी सरकार को इस बारे में निर्देश हेतु प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं।

विभाग को बिना बिके चि.डो.पो. के नष्टीकरण पर निगरानी रखने हेतु एक प्रणाली तैयार करने तथा कृषकों द्वारा 31 जुलाई के तुरन्त बाद बेची और नष्ट की गई मात्रा के लिये निर्धारित विवरणी निर्धारित करने पर विचार करना चाहिये।

6.8.12 थोक एवं खुदरा अनुज्ञाधारियों द्वारा घाटे में चि.डो.पो का व्यापार करना

प्रत्येक चि.डो.पो. के समूह (थोक एवं खुदरा) के वार्षिक अनुज्ञापत्र शुल्क का आधार समूह के सम्भावित राजस्व जो समूह में चि.डो.पो. के पंजीकृत उपभोक्ताओं की मात्रा और गत वर्ष की प्राप्त राशि होता है। समूह हेतु प्रार्थना-पत्र गैर वापसी योग्य फीस के आधार पर आमंत्रित किये जाते है और लॉटरी प्रक्रिया के द्वारा अनुज्ञापत्र प्रदान किये जाते है। वार्षिक अनुज्ञापत्र शुल्क वास्तव में अनुज्ञापत्र प्राप्त करने की वो लागत है जो उनको चिरे हुए डोडा पोस्त प्राप्त करने एवं उसके व्यापार हेतु अनुमति देता है।

विभाग ने वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान ₹ 159.69 करोड़ का राजस्व चि.डो.पो. के समूहों/थोक एवं खुदरा अनुज्ञाधारियों से, अनुज्ञाशुल्क, नवीनीकरण शुल्क आबकारी शुल्क और परमिट शुल्क के रूप में वसूल किये थे जो दोनों वर्षो में समान थे का विवरण

निम्नानुसार है:

(₹ लाखों में)

वर्ष	चि.डो.पो. के अनुज्ञाधारियों से सरकार द्वारा वसूल किया गया राजस्व						
	अनुज्ञा शुल्क				आबकारी शुल्क ₹ 35 प्र.कि.ग्रा. दर से	परमिट फीस ₹ 4 प्र.कि.ग्रा. की दर से	कुल राजस्व की वसूली का योग (4+5+6+7)
	उत्पादन क्षेत्र की अनुज्ञा शुल्क	खपत क्षेत्र की अनुज्ञा शुल्क	योग (2+3)	अनुज्ञापत्र नवीनीकरण शुल्क (कॉलम 4 का 1 %)			
1	2	3	4	5	6	7	8
2009-10	2,411.67	4,372.75	6,784.42	लागू नहीं	593.53	67.83	7,445.78
2010-11	3,014.59	4,656.14	7.670.73	76.71	696.03	79.55	8,523.02
योग	**5,426.26**	**9,028.89**	**14,455.15**	**76.71**	**1,289.56**	**147.38**	**15,968.80**

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई।

अनुज्ञाधारियों ने, ₹ 69.20 करोड़ का व्यय कृषकों से चि.डो.पो. का क्रय करने, वेट, परिवहन और रख-रखाव प्रभारों पर किये थे जैसाकि निम्नानुसार वर्णित है:

वर्ष	व्यसनियों को चि.डो.पो. की वास्तविक आपूर्ति (मीट्रिक टन में)	अनुज्ञाधारियों द्वारा किया गया व्यय[16]					
		कृषकों से क्रय किये चि.डो.पो. की कीमत		अनुज्ञाधारियों द्वारा वसूल कुल राशि पर वेट		परिवहन और रख-रखाव प्रभार की दर ₹ 17.82 (9.90+7.92) प्र. कि.ग्रा.	कुल खर्च (4+6+7) (₹ लाख में)
		दर प्रति कि.ग्रा (₹ में)	कुल कीमत (2x3) (₹ लाख में)	दर (% में)	वेट राशि (₹ लाख में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
2009-10	1,695.81	100	1,695.81	14.00	1,187.07	302.19	3,185.07
2010-11	1,988.67	100	1,988.67	14.00	1,392.07	354.38	3,735.12
योग	**3,684.48**		**3,684.48**		**2,579.14**	**656.57**	**6,920.19**

स्रोत: सूचना विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई।

उपरोक्त सारणी दर्शाती है कि अनुज्ञाधारियों द्वारा दोनों वर्षों में ₹ 228.89 करोड़ अनुज्ञा शुल्क, क्रय मूल्य, आबकारी शुल्क, वेट, परिवहन और रख-रखाव प्रभार आदि पर व्यय किये थे जबकि अनुज्ञाधारियों द्वारा चि.डो.पो. के विक्रय से सिर्फ

[16] वर्ष 2009-10 और 2010-11 की आबकारी नितियों में क्रय मूल्य के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा, परिवहन और रखर-खाव प्रभार निश्चित किये गये थे।

₹ 184.22 करोड़ प्राप्त किये थे परिणाम स्वरूप, निम्न विवरण के अनुसार ₹ 44.67 करोड़ का स्पष्टत: घाटा हुआ:

वर्ष	चि.डो.पो. के विक्रय से अनुज्ञाधारी द्वारा प्राप्त राशि				
	व्यसनियों की सं.	चि.डो.पो. की आवश्यकता कि. ग्रा. में	व्यसनियो को ची.डो.पो. की वास्तविक आपूर्ति	दर प्रति कि.ग्रा. (₹ में)	प्राप्त कुल राशि (4x5) (₹ लाख में)
1	2	3	4	5	6
2009-10	27,215	2,271.68	1,695.81	500.00	8,479.05
2010-11	26,585	2,250.83	1,988.67	500.00	9,943.35
योग	**53,921**	**4,522.51**	**3,684.48**		**18,422.40**

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई सूचना

अनुज्ञाधारियों द्वारा दोनों वर्षो में हानि हुयी थी जो यह दर्शाता है कि अनुज्ञाधारी हानि उठाते हुये व्यापार कर रहे थे। अत: हानि की पूर्ति के लिये, उनका ची.डो.पो. के अवैध व्यवसाय में लिप्त होने की संभावना से इन्कार नही किया जा सकता क्योंकि कोई भी व्यवसाय हानि उठाते हुये जारी नहीं रखा जायेगा।

विभाग ने चि.डो.पो. के समूहों के वार्षिक अनुज्ञाशुल्क ऊंची दर से निर्धारित किये थे, जबकि इनको खरीदने के बाद परमिटधारी व्यसनियों चि.डो.पो. को विक्रय हेतु मूल्य निर्धारित था। यह देखा गया कि उन्ही समूहों द्वारा वर्ष 2010-11 के लिये पूर्व वर्ष की प्राप्त राशि से अधिक राशि पर अनुज्ञापत्रों का नवीनीकरण कराया गया था लेकिन सरकार/विभाग द्वारा यह विश्लेषण नही किया गया था कि अनुज्ञाधारीयों द्वारा कैसे पूर्व में सूचित चि.डो.पो. की विक्रय की आय से अधिक व्यय किया जा रहा था जिसका विक्रय केवल परमिट धारी व्यसनियों को निर्धारित विक्रय मूल्य पर किया जाना था।

ध्यान में लाये जाने पर सरकार ने बताया (अगस्त 2012) कि अनुज्ञाधारी के लाभ और हानि के लिये विभाग जिम्मेदार नही था। इसके अतिरिक्त विभाग को, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये अनुज्ञाधारियों की हानि स्वीकारयोग्य नही थी। क्योंकि व्यवसाय में सामाजिक पक्ष निहित होता है, अनुज्ञाधारियों का घाटे की पूर्ति के लिये अवैध व्यापार करने की संभावनाओं मे इन्कार नही किया जा सकता। सरकार/विभाग द्वारा चि.डो.पो. के अनुज्ञाधारियों द्वारा पूर्व वर्षो में किये संव्यवहारों का विश्लेषण उनके अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण से पहले करना चाहिये, जिससे चि.डो.पो. के अवैध व्यापार पर नियंत्रण किया जा सके ।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार चि.डो.पो. के अनुज्ञापत्रों को निविदा प्राप्त कर जारी करने पर निगरानी रखने के लिये एक उचित प्रणाली विकसित करने पर विचार करें।

6.8.13 अनुज्ञापत्र स्थानान्तरण शुल्क की अवसूली

रा.स्वा.औ.म.प. नियम 1985 के नियम 35(2) सपठित राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 72(ब) के अनुसार प्रत्येक अनुज्ञापत्र, अनुज्ञाधारी को व्यक्तिगत रुप से प्रदान या नवीनीकृत किया जाता है तथा अनुज्ञापत्र जारी करने वाले प्राधिकारी से लिखित में पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना अनुज्ञापत्र बेचा या हस्तान्तरित नही किया जा सकता है। चि.डो.पो. के मामले में आबकारी आयुक्त (आ.आ.) की अनुमति, से अनुज्ञाधारी द्वारा अनुज्ञापत्र शुल्क की 50 प्रतिशत राशि जमा कराने के बाद ही अनुमति दी जायेगी।

वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान आबकारी आयुक्त उदयपुर कार्यालय की अनुज्ञापत्र पत्रावलियों की नमूना जांच में यह देखा गया कि जिला आबकारी अधिकारी चित्तौडगढ़ के समाधिकार के चि.डो.पो के चित्तौडगढ़-गंगरार समूह का वर्ष 2010-11 का थोक अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण मूल अनुज्ञाधारी के स्थान पर, सह अनुज्ञाधारी के नाम पर, अनुज्ञापत्र हस्तान्तरण शुल्क ₹ 49.13 लाख[17] जमा कराये बिना किया गया था।

ध्यान में लाये जाने पर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति (जून 2012) स्वीकार की तथा जिला आबकारी अधिकारी, चित्तौडगढ़ को वर्ष 2009-10 के मूल अनुज्ञाधारी से अनुज्ञापत्र हस्तान्तरण शुल्क वसूल करने हेतु निर्देशित किया।

6.8.14 खुदरा अनुज्ञाधारियों द्वारा 500 कि.ग्रा. से अधिक चि.डो.पो. अपने पास रखना

रा.स्वा.औ.म.प. नियम, 1985 के नियम 32 एवं 33 के प्रावधानों के अनुसार कोई व्यक्ति नियम 34(1)(बी) के अन्तर्गत प्रारूप एन.डी.पी.एस.एल.-8 में जारी अनुज्ञापत्र के बिना चि.डो.पो. का खुदरा विक्रय नहीं करेगा।

एन.डी.पी.एस.एल.-8 की शर्त संख्या 2 के अनुसार अनुज्ञाधारी अपने पास एक समय में 500 कि.ग्रा. से अधिक चि.डो.पो. अपने पास नहीं रखेगा।

वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान जिला आबकारी अधिकारी, बाड़मेर तथा हनुमानगढ़ को खुदरा अनुज्ञाधारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये चि.डो.पो. की खुदरा बिक्री पंजिकाओं की नमूना जांच में यह देखा गया कि हनुमानगढ़ जिले के वर्ष 2009-10 में आठ (25 मे से) तथा वर्ष 2010-11 में दो (25 मे से) खुदरा अनुज्ञाधारियों तथा बाड़मेर जिले के वर्ष 2009-10 में तीन (22 में से) अनुज्ञाधारियों ने, एक समय में उपरोक्त वर्णित अनुज्ञापत्र की शर्त के

[17] समूह की अनुज्ञापत्र शुल्क राशि ₹ 98,26,250 की 50 प्रतिशत = ₹ 49,13,125 ।

विपरीत 500 कि.ग्रा से अधिक चि.डो.पो. की मात्रा अपने पास रखी थी। जिनमें से कुछ प्रकरणों को नीचे दर्शाया गया है:

क्र. स.	जि.आ.अ का नाम	वर्ष	खुदरा अनुज्ञाधारी का नाम	दिनांक	चि.डो.पो. की एक समय में मात्रा (कि.ग्रा. में)
1	हनुमानगढ़	2009-10	पीलीबंगा	08.05.2009	590
			सांगरिया	08.05.2009	590
			तिब्बी	23.01.2010	660
		2010-11	सांगरिया	06.08.2010	590
			भादरा	20.07.2010	690
2	बाड़मेर	2009-10	गुढ़ामालिनी	27.04.2009	580
			गोटन	26.06.2009	724
			सिन्दरी	28.04.2009	660

यह देखा गया कि आबकारी निरीक्षकों द्वारा खुदरा बिक्री पंजिकाओं का सत्यापन किया गया था परन्तु एक समय में 500 कि.ग्रा. से अधिक चि.डो.पो. रखने वाले अनुज्ञाधारियों के बारे मे कोई टिप्पणी नहीं की थी।

ध्यान में लाने पर सरकार ने बताया (अगस्त 2012) कि इंगित की गयी तारीखें में खुदरा अनुज्ञाधारियों के पास विक्रय बाद रहा शेष 500 कि.ग्रा की निर्धारित सीमा मे था। फिर भी तथ्य यह है कि अनुज्ञाधारियों के पास एक समय में 500 कि.ग्रा. से अधिक चि.डो.पो थी। यह चि.डो.पो. के खुदरा अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या '2' का उल्लंघन था, जिसके अनुसार, अनुज्ञाधारी विक्रय से पहले या बाद में अपने पास 500 कि.ग्रा. से अधिक चि.डो.पो. की मात्रा नहीं रखेगा।

(ब) राज्य में चि.डो.पो. के व्यसनियों की स्थिति

केवल खुदरा अनुज्ञाधारियों द्वारा ही परमिटधारी व्यवमनियों को चि.डो.पो. का विक्रय किया जा सकता है। आबकारी आयुक्त द्वारा दिये निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2001-02 के बाद विद्यमान व्यसनियों के परमिटों के नवीनीकरण के अतिरिक्त चि.डो.पो. के उपभोग हेतु कोई नया परमिट जारी नही किया जावेगा। वर्ष 2009-10 व 2010-11 के दौरान राज्य में पंजीकृत व्यसनियों और चि.डो.पो. के उपभोग की स्थिति निम्नानुसार है।

संग्रहण वर्ष	व्यसनियों की संख्या	चि.डो.पो. का उपयोग (कि.ग्रा. में)
2009-10	27,215	16,95,810
2010-11	26,585	19,88,670

स्रोत:- विभाग द्वारा उपलब्ध कराई सूचना

व्यसनियों के परमिट नवीनीकरण में पायी गयी कमियों पर आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

6.8.15 व्यसनियों के परमिटों का नवीनीकरण

आबकारी आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक वर्ष परमिटों के नवीनीकरण के समय, विधमान परमिटों के नवीनीकरण के अतिरिक्त जिला आबकारी द्वारा नये परमिटों का अनुमोदन नही किया जायेगा। प्रारुप एन.डी.पी.एस.एल-9 में परमिट नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुशंषित चि.डो.पो. की मात्रा हेतु वर्ष या वर्ष के किसी भाग के लिये ₹ 50 के भुगतान के पश्चात जिला आबकारी अधिकारी परमिट का नवीनीकरण कर सकता है।

पांच जिला आबकारी अधिकारियों[18] की परमिट नवीनीकरण पत्रावलियों की नमूना जांच में यह देखा गया कि वर्ष 2009-10 में 1,040 परमिट तथा 2010-11 में 1,091 परमिटों की नवीनीकरण, एक व्यसनी से ₹ 150 से ₹ 1,000 तक परमिट फीस जमा कराने के बाद, किया गया था। यह देखा गया कि इन परमिटों का नवीनीकरण तीन से 20 वर्ष बाद एकमुश्त परमिट फीस जमा होने के बाद किया गया था। यद्यपि, नियमों में एक वर्ष की समाप्ति के बाद परमिट नवीनीकरण का कोई प्रावधान नहीं था, इन निष्क्रीय परमिटों को नियम विरूद्ध कार्यशील किया गया था।

इन परमिटों के नवीनीकरण के समय, विभाग द्वारा व्यसनियों से गैर नवीनीकृत अवधि में खरीदे गये चि.डो.पो. के स्रोत के बारे में कोई पूछताछ नहीं की गई थी।

प्रति व्यसनी चि.डो.पो. के उपभोग की अधिकतम सीमा 10 कि.ग्रा. प्रति माह, विभाग द्वारा निश्चित की गयी थी फिर भी, यदि, इसकी आधी मात्रा अर्थात 5 कि.ग्रा. प्रति माह, प्रति व्यसनी औसत उपभोग को मानें तो, व्यसनियों द्वारा, परमिट नवीनीकरण के वर्ष से पूर्व के वर्षो में अवैध बाजार से ₹ 714.96 लाख मूल्य की 1278.60 क्विंटल चि.डो.पो. की खरीददारी की गयी थी, जैसाकि निम्न सारणी दर्शाती है।

वर्ष	एकमुश्त शुल्क के बाद नवीनीकृत परमिट की संख्या	औसत उपभोग प्रति व्यसनी/प्रति माह (क्रि.ग्रा. में)	गत वर्ष	गत वर्ष के दौरान कुल उपभोग (क्रि.ग्रा. में)	गत वर्ष में चि.डो.पो. का प्रति क्रि. ग्रा. खुदरा मूल्य	गत वर्ष में अवैध बाजार में चि.डो.पो. का मूल्य (₹ लाख में)
2009-10	1040	5	2008-09	62,400	621.25	387.66
2010-11	1091	5	2009-10	65,460	500.00	327.30
योग				**1,27,860**		**714.96**

स्रोत:- विभाग द्वारा उपलब्ध कराई सूचना का लेखापरीक्षा द्वारा किया गया विश्लेषण।

[18] बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जोधपुर और श्रीगंगानगर।

ध्यान दिलाने पर सरकार ने बताया (अगस्त 2012) कि संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा, व्यसनियों के परमिटों का एक वर्ष से अधिक अवधि हेतु नवीनीकरण इस कारण से किया गया था, क्योंकि परमिटधारी व्यसनी निजी कार्यवश या नशामुक्ति के लिये पलायन कर गये थे। इन परमिटों का आगे वर्ष 2009-10 और 2010-11 के लिये नवीनीकरण आबकारी अधिकारियों द्वारा आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 19.03.2009 तथा 11.03.2010 की पालना में किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित प्रकरणों में परमिटों का नवीनीकरण 3 से 20 वर्ष बाद किया गया था। एक वर्ष बाद परमिटों का नवीनीकरण एक नया प्रकरण मानकर तद्नुसार करना चाहिए था। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा वर्णित आबकारी आयुक्त के आदेश, उन परमिटों के लिये थे जिनमें चिकित्सा अधिकारी द्वारा आगामी वर्षों के लिये चि.डो.पो. हेतु अनुशंषा का अनुमोदन किया गया था। जबकि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित प्रकरणों में चिकित्सा अधिकारी द्वारा चि.डो.पो. हेतु परमिटों में आगामी वर्षों के लिये ऐसी कोई अनुशंषा नहीं की गई थी।

6.8.16 प्रपत्र 'आई' में चिकित्सा आधिकारी की अनुशंषा प्राप्त किये बिना परमिटों का नवीनीकरण

रा.स्वा.औ.म.प. नियम, 1985 के नियम 44(2) के परन्तुक (अ) के अनुसार मेडिकल बोर्ड या चिकित्सा अधिकारी की अनुशंषा सहित प्रस्तुत प्रपत्र 'आई' के बिना किसी भी दशा में परमिट का नवीनीकरण अथवा जारी नहीं किया जावेगा। चिकित्सा अधिकारी जैसाकि नियम 45 में अंकित है, व्यसनी की चिकित्सीय जांच के पश्चात प्रपत्र 'एम' में एक अभिलेख तैयार करेगा। चिकित्सा अधिकारी प्रपत्र 'आई' में इस बाबत अपनी स्पष्ट राय अंकित करेगा कि क्या आवेदक को चिकित्सीय जरूरत हेतु चि.डो.पो. के उपभोग की आवश्यकता है।

नियम 44 के अनुसार व्यसनी को उसके चि.डो.पो. उपभोग के लिये प्रपत्र 'एच' में परमिट द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें प्रपत्र 'आई' में चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुशंषित चि.डो.पो. की मात्रा का उल्लेख होता है।

जिला आबकारी अधिकारी बीकानेर द्वारा वर्ष 2009-10 और 2010-11 के लिये व्यवसनियों को नवीनीकृत परमिटों की नमूना जांच में यह देखा गया कि दोनों वर्षों में सभी व्यसनियों के परमिटों का नवीनीकरण प्रपत्र 'आई' में चिकित्सा अधिकारी की अनुशंषा प्राप्त किये बिना किया गया था। हालांकि, परमिटों के साथ प्रपत्र 'एम' में व्यसनियों की चिकित्सा जांच रिर्पोट संलग्न थी, जिनमें चिकित्सा अधिकारी द्वारा चि.डो.पो. की किसी

विशिष्ट मात्रा का उल्लेख नहीं किया गया था। यह देखा गया कि चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रपत्र 'आई' जारी करने के बजाय लगातार पूर्व मात्रानुसार (एक छपी हुई समान भाषा) का उल्लेख, प्रपत्र 'एम' में किया गया था।

ध्यान में लाने पर सरकार ने बताया (अगस्त 2012) कि भविष्य में व्यसनियों के परमिटों का नवीनीकरण प्रपत्र 'आई' में चिकित्सा अधिकारी की अनुशंषा प्राप्त करने के बाद किया जावेगा।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार चिकित्सा अधिकारियों को यह निर्देश जारी करें कि वे प्रत्येक मामलें में, नशामुक्ति की संभावना को ध्यान में रखते हुये प्रपत्र 'एम' नियमित तरीके से जारी नहीं करें तथा विभाग को चिकित्सा अधिकारी से प्रपत्र 'आई' अनुशंषा प्राप्त करने के पश्चात् ही परमिट का नवीनीकरण करना चाहिये।

6.8.17 चि.डो.पो. के उपयोग की मात्रा के नियंत्रण हेतु चिकित्सा अधिकारी की सलाह पर ध्यान नहीं देना

रा.स्वा.औ.म.प नियम, 1985 के नियम 45(3) के अनुसार एक व्यसनी संबंधित जि. आ.अ. को अपने परमिट (प्रपत्र 'एच') के नवनीकरण हेतु चिकित्सा प्रमाण-पत्र (प्रपत्र 'आई') जिसमें चिकित्सा अधिकारी ने चि.डो. पो. के उपभोग की मात्रा की अनुशंषा की गई हो के साथ प्रपत्र एन.डी.पी.एस.एल.-9 में जि.आ.अ. को आवेदन प्रस्तुत करेगा।

6.8.17.1 जिला आबकारी अधिकारी, हनुमानगढ़ और श्रींगगानगर द्वारा व्यसनियों के नवीनीकृत परमिटों की मापक जांच में यह देखा गया कि चिकित्सा अधिकारी द्वारा, व्यसनियों को जारी, चिकित्सा प्रमाण-पत्र में प्रति तिमाही चि. डो.पो. की एक निश्चित मात्रा कम करने की सलाह दी थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

जि.आ.अ. का नाम	व्यसनियों की संख्या	प्रपत्र 'आई' के अनुसार प्रति तिमाही कम की जाने वाली मात्रा
श्रीगंगानगर	31	400 ग्राम से 1 किलोग्राम तक
हनुमानगढ़	21	500 ग्राम से 30 किलोग्राम तक

स्रोत: जिला आबकारी अधिकारियों से संग्रहित सूचना

लेकिन जिला आबकारी अधिकारी ने व्यसनियों के परमिटों का नवीनीकरण चिकित्सा अधिकारी द्वारा चि.डो.पो. की मात्रा में की गई कमी को उल्लेख किया बिना कर दिया था। परिणामस्वरूप चि.डो.पो. की खुदरा दुकान का कोटा समान रहा था।

ध्यान में लाने पर सरकार ने बताया (अगस्त 2012) रा.स्वा.औ.म.प नियम, 1985 के नियम 45 के उप नियम(vii) का परन्तुक, जिसमें प्रति तिमाही 1/8 भाग चि.डो.पो. की मात्रा की कमी बाबत अंकन था को विज्ञप्ति दिनांक 30.08.1990

द्वारा हटा दिया गया था। इसलिये चिकित्सा प्रमाण-पत्र में प्रति तिमाही चि.डो.पो. की मात्रा कम किये जाने वाले बिन्दु पर विचार नहीं किया गया था।

फिर भी यह तथ्य रहता है कि परमिट धारी व्यसनियों द्वारा चि.डो.पो. के उपभोग की मात्रा का आधार चिकित्सीय जांच होती है, जिसमें चिकित्सा अधिकारी द्वारा उन्हें आवश्यक मात्रा की अनुशंषा करता है। इससे यह प्रतीत होता है कि व्यसनियों के परमिटों का नवीनीकरण उनकी नशामुक्ति की आवश्यकता देखने के स्थान पर, खुदरा अनुज्ञाधारी के लाभ के लिये किया गया था। विभाग को चिकित्सा अधिकारी की अनुशंषा के अनुसार ही परमिटों का नवीनीकरण करना चाहिए था।

विभाग को परमिटों का नवीनीकरण चिकित्सा अधिकारी द्वारा व्यसनियों को चि.डो. पो. की मात्रा में कमी हेतु की गई अनुशंषा पर विचार करते हुए करना चाहिए जो उसके नशा मुक्त होने में सहायता करेगी। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा प्रति तिमाही चि.डो.पो. की कमी बाबत प्रावधान को नियमों में पुनः समावेश करना चाहिए।

6.8.17.2 प्रत्येक व्यसनी की मासिक उपभोग की मात्रा चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाती है। इसी आधार पर खुदरा अनुज्ञाधारियों द्वारा चि.डो.पो. का विक्रय, व्यसनियों को निर्धारित सीमा तक किया जाता है। चार जिला आबकारी अधिकारियों[19] की 14 चि.डो.पो की खुदरा दुकानों के खुदरा बिक्री पंजिकाओं की मापक जांच में देखा गया की परमिट धारी व्यसनी को चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित मासिक उपभोग की निर्धारित मात्रा मे दो मे नौ कि.ग्रा. अधिक चि.डो.पो. का विक्रय किया गया था।

ध्यान में लाने पर सरकार ने बताया (अगस्त 2012) कि जिस खुदरा दुकान से चि.डो.पो. की खरीद व्यसनी करेगा, उसका नाम परमिट पर अंकित किया जा जाता है तथा अनुज्ञाधारी संबंधित परमिटधारी व्यसनियों को ही चि.डो.पो. बेचने के लिये बाध्य है।

सरकार का उत्तर, हमारी टिप्पणी के अनुसार नहीं है क्योंकि खुदरा अनुज्ञाधारी द्वारा परमिटधारी व्यसनी को चि.डो.पो. का विक्रय, उसे निर्धारित मासिक उपभोग की मात्रा से अधिक का किया गया था।

सरकार, विभाग को उन खुदरा अनुज्ञाधारियों के अनुज्ञापत्र निरस्त/रोकने हेतु निर्देशित करना चाहिए जिन्होंने अनुज्ञापत्र में निर्धारित शर्तो का उल्लघंन किया है। जिससे चि.डो.पो. की अवैध व्यसनियों को बेचने व चि.डो.पो. व्यसन को समाज में फैलने से रोक सकेगी।

[19] बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और श्रीगंगानगर।

6.8.18 एक से अधिक व्यसनियों को दोहरे/एक ही क्रमांक के परमिट जारी करना

रा.स्वा.औ.म.प. नियम, 1985 के नियम 44(2) के अनुसार, सक्षम अधिकारी द्वारा प्रपत्र 'एच' में जारी वैध परमिट धारी द्वारा ही चि.डो.पो. का क्रय किया जा सकता है।

6.8.18.1 जिला आबकारी अधिकारी, बाड़मेर (2 प्रकरण) और जिला आबकारी अधिकारी, हनुमानगढ़ (7 प्रकरण) के वर्ष 2009-10 और 2010-11 के अभिलेखों की मापक जांच में यह पाया गया कि एक व्यसनी को दो परमिट जारी कर दिये गये जो कि जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा व्यसनियों को परमिट जारी करते समय की गई लापरवाही को स्पष्टता दर्शाती है। विभाग ने व्यसनी को परमिट जारी/नवीनीकरण करने से पूर्व उसके विवरण जैसे पिता का नाम, पता आदि की जांच नहीं की ताकि वह दोनों परमिटों मे दो भिन्न-भिन्न या उसी खुदरा दुकान से चि.डो.पो. क्रय न कर सके।

6.8.18.2 जिला आबकारी अधिकारी, हनुमानगढ और जोधपुर के वर्ष 2009-10 और 2010-11 के अभिलेखों की मापक जांच में यह देखा गया कि एक ही क्रमांक के परमिट दो या तीन व्यसनियों को जारी कर दिये गये थे, जिसका विवरण निम्नानुसार था:

जि.आ.अ. का नाम	वर्ष	समान संख्या वाले जारी परमिटों की संख्या	
		2 व्यसनी	3 व्यसनी
हनुमानगढ़	2009-10	124	2
	2010-11	128	3
तिवरी, जोधपुर	2009-10	7	-
	2010-11	5	1

स्रोतः- जिला आबकारी अधिकारियों से संग्रहित सूचना

यह साबित करता है कि जिला आबकारी अधिकारी व्यसनियों को परमिट जारी करते समय चौकन्ने नहीं थे।

ध्यान में लाने पर सरकार ने बताया (अगस्त 2012) कि वर्ष 1996-97, 1999-2000 और 2001-02 में व्यसनियों को जारी किये गये परमिटों का क्रमांक एक से प्रारंभ था इसलिये दो या तीन व्यसनियो को समान क्रमांक का परमिट जारी हो सकते हैं। लेकिन व्यसनी के नाम और वर्ष अलग-अलग थे। सरकार ने आगे बताया कि वर्तमान में परमिटों का नवीनीकरण करते समय नये क्रमांक आवंटित किये जा रहे है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि दो परमिट धारियों के पास समान क्रमांक के परमिट नहीं है। लेकिन उप पैराग्राफ (i) के बाबत जिसमें एक व्यसनी को दोहरे जिनमें परमिट जारी करने विवरण जैसे पिता का नाम, पता समान थे के सम्बंध में उत्तर मौन था।

विभाग को, परमिटधारी व्यसनियों तथा खुदरा दुकानों से संबधित आंकडों का, परमिटों तथा प्रत्येक व्यसनी द्वारा लिये गये चि.डो.पो. और खुदरा दुकानों पर बेहतर नियंत्रण के लिये कम्प्यूटरीकरण करना चाहिए।

6.8.19 नवीनीकृत परमिटों को वापस व्यसनियों को लोटाने संबंधी अभिलेखों का संधारण नहीं करना

आबकारी आयुक्त द्वारा समस्त जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देशित किया था कि नवीनीकरण के बाद परमिटों को सिर्फ व्यवसनियों को ही लौटाया जावे, खुदरा अनुज्ञाधारियों को नहीं।

जिला आबकारी अधिकारी, बाड़मेंर, बीकानेर और श्रीगंगानगर के वर्ष 2009-10 व 2010-11 के नवीनीकरण के अभिलेखों की नमूना जांच में यह देखा गया कि वर्ष 2009-10 के दौरान परमिट नवीनीकरण के पश्चात व्यसनियों को लौटाने के प्रमाण में उनके हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी से संबन्धित पंजिकाओं का संधारण, जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया था। वर्ष 2010-11 के दौरान, यद्यपि जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा इस प्रकार के अभिलेख संधारित किये गये थे लेकिन अभिलेखों में कुछ प्रविष्टियां ही पायी गयी थी।

इन पंजिकाओं के अभाव में हम यह सुनिश्चित नहीं कर सके कि नवीनीकृत समस्त परमिट, सम्बधित व्यसनियों को ही लौटाये गये थे।

ध्यान में लाने पर सरकार ने स्वीकार किया (अगस्त 2012) कि जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय या शिविर में परमिटों के नवीनीकरण के बाद उन्हें व्यसनियों को लौटाया गया था, और अलग से पावती अंकित नहीं की गयी थी। लेकिन उत्तर में, रसीद प्राप्ति हेतु विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही बाबत, कोई उल्लेख नहीं था।

स. व्यसनियों को चि.डो.पो. का विक्रय

6.8.20 परमिट नवीनीकरण से पूर्व व्यसनियों को चि.डो.पो. का विक्रय

जिला आबकारी अधिकारी बाड़मेर के वर्ष 2009-10 की खुदरा बिक्री पंजिकाओं व परमिट नवीनीकरण पंजिकाओ की नमूना जांच में यह देखा गया कि खुदरा अनुज्ञाधारियों द्वारा व्यसनियों को चि.डो.पो. का विक्रय परमिट नवीनीकरण से पूर्व ही कर दिया गया था। जो अवैध बिक्री की श्रेणी में आता है। उदाहरणार्थ चि.डो.पो. की खुदरा दुकान, गान्धव के 22 व्यसनियों और गडरा के 96 व्यसनियों द्वारा राजकीय खाते में, परमिट नवनीकरण फीस क्रमशः 15.04.2009 और 22.04.2009 को जमा कराई थी। यह भी पाया कि 168 कि.ग्रा. चि.डो.पो. का विक्रय, 112 (118 में से) व्यसनियों को दिनांक 12.04.2009 तथा 13.04.2009 को किया गया था, जो कि अवैध बिक्री थी।

ध्यान में लाने पर सरकार ने बताया कि (अगस्त 2012) कि चि.डो.पो. का विक्रय परमिट नवीनीकरण से पूर्व इसलिए किया था कि परमिट नवीनीकरण प्रक्रिया में थे।

विभाग को परमिट नवीनीकरण के लिये एक समय अवधि का निर्धारण करना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके, व्यसनियों को उनके परमिट नवीनीकरण से पूर्व चि.डो.पो. का विक्रय नहीं किया जा सके।

6.8.21 खुदरा अनुज्ञाधारी द्वारा गैर परमिट धारी व्यक्ति को चि.डो.पो. का अवैध बिक्री करना

खुदरा विक्रय के अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 6 के अनुसार अनुज्ञाधारी चि.डो.पो. की प्राप्त, विक्रय और भण्डार में शेष रहे चि.डो.पो. की मात्रा दर्शाते हुये स्याही से एक सत्य दैनिक खाता रखेगा। वह 1 कि.ग्रा. तथा इससे अधिक मात्रा में खरीदे गये चि.डो.पा. के क्रेता का नाम, पिता का नाम व पता भी खाते में दर्शायेंगे।

जिला आबकारी अधिकारी बाड़मेर के वर्ष 2009-10 चि.डो.पो की खुदरा बिक्री पंजिकाओं की मापक जांच में यह देखा गया कि राशि ₹ 6.75 लाख[20] का 1,350 कि.ग्रा. चि.डो.पो. का विक्रय 643 ऐसे व्यक्तियों को किया गया था जिनका नाम खुदरा दुकान की परमिटधारी व्यसनियों की सूची में शामिल नहीं था। जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

क्रमांक	खुदरा अनुज्ञाधारी दुकान का नाम	व्यसनी के अलावा दर्ज व्यक्तियों की संख्या	चि.डो.पो. की निहित मात्रा (कि.ग्रा. में)
1	गान्धव	134	239
2	सांदरी	297	687
3	सिवाना	40	80
4	सनवारा	48	96
5	साता	124	248
	योग	**643**	**1,350**

स्रोत:- जिला आबकारी अधिकारियों से संग्रहित सूचना

यह देखा गया कि लेखापरीक्षा द्वारा मापक जांच की गई इन पंजिकाओं में तथ्यों के सत्यापन के प्रमाण में आबकारी निरीक्षकों ने हस्ताक्षर तो किये थे, लेकिन वे परमिटधारी व्यसनियों को विक्रय पर नियंत्रण में नाकाम रहे थे।

[20] 1350 कि.ग्रा. चि.डो.पो. की मात्रा x ₹ 500 प्र.कि.ग्रा. चि.डो.पो. की विक्रय दर = ₹ 6.75 लाख।

ध्यान में लाने पर सरकार ने बताया कि (अगस्त 2012) परमिटधारी व्यसनियों द्वारा चि.डो.पो. की खरीद अन्य खुदरा दुकान से इसलिये की थी कि उन्हें अधिकृत खुदरा दुकान पर चि.डो.पो. की उपलब्धता नहीं थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि चि.डो.पो. का कोटा, प्रत्येक दुकान हेतु स्वीकृत व्यसनियों की संख्या के आधार पर स्वीकृत किया जाता है और दुकानों द्वारा अधिकृत व्यसनियों को ही चि.डो.पो. का विक्रय करना था। यह उत्तर देना कि इन परमिटधारी व्यसनियों द्वारा किसी अन्य खुदरा दुकान से क्रय किया था, इसलिये स्वीकार नहीं है कि खुदरा अनुज्ञाधारियों द्वारा इस तरह का कोई अभिलेख नहीं तैयार किया गया था जिससे यह विदित हो कि अन्य चि.डो.पो. की मान्य खुदरा दुकान के परमिटधारी व्यसनियों को विक्रय किया गया था।

6.8.22 खुदरा विक्रय पंजिकाओं में फर्जी प्रविष्टियां करना

खुदरा अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 4 के अनुसार एक व्यक्ति/व्यसनी को एक दिन में 2 कि.ग्रा. मात्रा से अधिक चि.डो.पो. विक्रय नहीं किया जावेगा। इसका अर्थ है कि खुदरा अनुज्ञाधारी एक दिन में, दुकान के लिये स्वीकृत व्यसनियों की संख्या से दोगुनी चि.डो.पो. की मात्रा तक विक्रय कर सकता है।

चि.डो.पो. की खुदरा विक्रय पंजिकाओं की मापक जांच के दौरान यह देखा गया कि खुदरा अनुज्ञाधारियों द्वारा अपनी बिक्री पंजिकाओं का संधारण सही और उचित रूप से नहीं किया जा रहा था।

6.8.22.1 जिला आबकारी अधिकारी बाड़मेर और बीकानेर में संधारित चि.डो.पो. की खुदरा विक्रय पंजिकाओं की मापक जांच में यह देखा गया कि 27 खुदरा अनुज्ञाधारियों द्वारा 2,232 कि.ग्रा चि.डो.पो. की अधिक मात्रा का विक्रय, एक दिन में दुकान के स्वीकृत व्यसनियों को अनुज्ञापत्र की शर्तों के दर्शाये मानकों के विरूद्ध, किया गया था:-

विवरण	बाड़मेर		बीकानेर		योग
	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	
खुदरा दुकानों की संख्या	9	4	4	10	**27**
कुल व्यसनियों की संख्या	1,103	367	411	711	**2,592**
एक दिन में विक्रय की गई चि.डो.पो. की मात्रा 2 x व्यसनियों की संख्या कि.ग्रा. में	2,206	734	822	1,422	**5,184**
चि.डो.पो. की वास्तविक बिक्री कि.ग्रा. में	3,195	1,095	961	2,165	**7,416**
चि.डो.पो. की अधिक बिक्री कि.ग्रा. में	989	361	139	743	**2,232**

अनुज्ञाधारियों द्वारा या तो फर्जी व्यसनियों के नामों की प्रविष्टियां की गयी थी या व्यसनियों के नाम की पुन: प्रविष्टियां की गयी थी। इसके अतिरिक्त चार जिला आबकारी अधिकारियों[21] के लेखों की नमूना जांच में यह देखा गया कि अनुज्ञाधारियों द्वारा एक व्यसनी को एक दिन में दो कि.ग्रा. से अधिक चि.डो.पो. का विक्रय अनियमित रूप से किया था। चि.डो.पो. के अवैध व्यापार की संभावनाओं में इन्कार नहीं किया जा सकता।

6.8.22.2 जिला आबकारी अधिकारी बाड़मेर और जोधपुर के वर्ष 2009-10 और 2010-11 की अवधि की चि.डो.पो. की खुदरा विक्रय पंजिकाओं की मापक जांच में यह देखा गया कि 45 खुदरा अनुज्ञाधारियों द्वारा 10,504 कि.ग्रा चि.डो.पो. का विक्रय उनकी दुकान हेतु मान्य परमिटधारी व्यसनियों के स्वीकृत कोटा से अधिक मात्रा में किया गया था। चि.डो.पो. की अधिक मात्रा 5 कि.ग्रा. से 585 कि.ग्रा. के मध्य थी। जैसा कि निम्न सारणी दर्शाती है:

विवरण	बाड़मेर		जोधपुर		योग
	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	
खुदरा दुकानों की संख्या	13	09	11	12	**45**
स्वीकृत मासिक कोटा	6,629	7,641	10,474	10,078	**34,822**
विभिन्न माहों में बिक्री योग्य चि.डो.पो. की अधिकतम मात्रा (कि.ग्रा में)	11,263	11,502	17,277	43,635	**83,677**
समान अवधि में खुदरा दुकानों द्वारा चि.डो.पो. की वास्तविक बिक्री (कि.ग्रा) में	13,947	12,094	19,410	48,730	**94,181**
चि.डो.पो. की अधिक बिक्री (कि.ग्रा.) में	2,684	592	2,133	5,095	**10,504**

यह भी देखा गया कि चि.डो.पो. के विक्रय का विवरण खुदरा विक्रय पंजिकाओं में दर्ज नहीं था।

ध्यान में लाने पर सरकार ने बताया (अगस्त 2012) कि खुदरा अनुज्ञाधारियों द्वारा चि.डो.पो. का व्यसनीयों को विक्रय निर्धारित मासिक कोटे के अनुसार किया था। उत्तर में यह भी कहा गया कि इस बात की भी संभावना थी कि परमिटधारी व्यसनियों द्वारा एक दिन में एक से अधिक बार एक कि.ग्रा. से कम चि.डो.पो. की मात्रा की खरीद की गयी हो, जिससे एक दिन में दो कि.ग्रा. से अधिक की खरीद हो सकती है। इस प्रकार परमिट जारी व्यसनियों हेतु स्वीकृत मासिक कोटा से अधिक विक्रय किया जाना हो सकता था।

[21] बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और श्रीगंगानगर।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि चि.डो.पो. के खुदरा अनुज्ञाधारियों द्वारा स्वीकृत मासिक कोटे से अधिक विक्रय किया गया था तथा जिसका विवरण पंजिकाओं में दर्ज नहीं किया गया था, जिसकी विभाग द्वारा जांच नहीं की गई थी।

विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खुदरा विक्रय पंजिकाओं का सत्यापन/जांच नियमित रूप से हो जिससे परमिटधारी व्यसनियों को विक्रय की सत्यता को सुनिश्चित किया जा सके जिसको खुदरा विक्रय पंजिका को कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से परमिटधारी व्यसनियों के विवरण से जोड़ कर के प्राप्त किया जा सकता है।

6.8.23 राज्य में व्यसनियों की संख्या में वृद्धि

वर्ष 2010 की स्वा.औ.म.प. की राष्ट्रीय नीति के अनुसार, सरकार को यह सुनिश्चित करना था कि व्यसनियों को उपलब्ध करायी जाने वाली पोस्त तृणों की मात्रा, उत्तरोत्तर रुप से कम हो जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक निर्धारित समय के पश्चात, जैसे नीति की घोषणा की तारीख के तीन वर्ष बाद, किसी व्यसनी को पोस्त तृण की आवश्यकता न हो।

इसके पश्चात नशे के लिये पोस्त तृण के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाये तथा केन्द्रीय नारकोटिक्स विभाग की निगरानी में निर्धारित प्रक्रिया से उसे नष्ट कर दिया जाये।

6.8.23.1 राष्ट्रीय नीति के अनुसार पोस्त तृण के नशे को तीन वर्षो में समाप्त करने तथा चि.डो.पो. के अनुज्ञाधारी व्यसनियों की संख्या में उत्तरोत्तर कमी करने के लिये कोई प्रणाली विद्यमान नहीं थी। मापक जांच किये गये जिला आबकारी कार्यालयों से पता चला कि विभाग द्वारा उपरोक्त जारी निर्देशों की अनुपालना में चिकित्सा विभाग के सानिध्य में अपने स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। जो सरकार की कमजोर इच्छा शक्ति का घोतक है।

ध्यान में लाने पर सरकार ने बताया कि व्यसनीयों के परमिट नवीनीकरण की संख्या में उत्तरोत्तर कमी हुई है। भविष्य में चि.डो.पो के व्यसन को खत्म करने हेतु प्रयास किये जायेगें।

6.8.23.2 जोधपुर स्थित एक निजी नशामुक्ति केन्द्र (मैसर्स राजस्थान, फार्मेसियां) में व्यसनियों के एक माह (जुलाई 2010) के दौरान पंजीकरण अभिलेखों की मापक जांच करने पर यह देखा गया कि केन्द्र में 339 व्यसनियों का नशामुक्ति हेतु पंजीकरण हुआ था। यह भी पाया गया कि ये व्यसनी आबकारी विभाग के परमिटधारी व्यसनी नहीं थे फिर भी वे नियमित रुप से एक से 10 कि.ग्रा चि.डो.पो. का प्रति माह उपभोग कर रहे थे। व्यसनियों द्वारा चि.डो.पो. की आपूर्ति स्रोत बाबत कुछ नहीं बताया गया था। नशा मुक्ति केन्द्र द्वारा भी इस आशय की सूचना नही रखी गयी थी कि व्यसनियों द्वारा चि.डो.पो. कहां से प्राप्त की,

क्योंकि इस प्रकार की सूचना चाहने से नशामुक्ति हेतु उनका केन्द्र में आने के होंसले में कमी आ सकती थी। एक माह में इतनी अधिक मात्रा में व्यसनियों का नामांकन स्वयं यह दर्शाता है कि चि.डो.पो. के अवैध आवागमन का एक बहुत बडा तंत्र राज्य में क्रियाशील है, जिस पर नियंत्रण हेतु विभाग नाकाम रहा है।

ध्यान में लाने पर सरकार ने बताया (अगस्त 2012) कि मैसर्स राजस्थान फार्मेसियों जोधपुर में सभी प्रकार के व्यसनियों जैसे चि.डो.पो., अफीम, और मदिरा आदि का पंजीयन हुआ है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की नीति के अनुसार चि.डो.पो. की अनुज्ञापत्र व्यवस्था 31 मार्च 2015 तक समाप्त की जावेगी तथा इस तारीख से पूर्व राज्य में रहने वाले सभी व्यसनियों को नशामुक्त करना होगा। इस सम्बंध में विभाग द्वारा सरकार को प्रस्ताव भेजे जा चुके है।

उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा समाज में मौजूद चि.डो.पो./अफीम के नशामुक्ति निवारण हेतु, परमिट धारी व्यसनियों की उत्तरोत्तर नशामुक्ति हेतु प्रयास नहीं किया गया।

6.8.24 निष्कर्ष

यह देखा गया कि विभाग चि.डो.पो. के कृषकों से जिन्होनें घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किये थे, से चि.डो.पो. के संग्रहण और उनके निपटान में नाकाम रहा। जिन्होने अपने घोषणा पत्र भर कर नहीं दिये थे उनके विरूद्ध, विभाग ने न तो केन्द्रीय नारकोटिक्स विभाग को अनुपालना नहीं करने वाले दोषी कृषकों बाबत सूचित किया और न ही उनके विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज किये थे। ये कार्यवाही नही करने से, भविष्य में राज्य में अनुपालना नहीं करने और चि.डो.पो. के अवैध आवागमन को बढावा मिलेगा। घोषणा-पत्रों का संग्रहण विभाग के स्थान पर उत्पादन क्षेत्र के थोक अनुज्ञाधारियों द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा घोषणा, पत्रों का सत्यापन नहीं किया गया था तथा अपूर्ण एवं संदेहास्पद घोषणा पत्रों को स्वीकार किया गया, जिससे इन घोषणा पत्रों की प्रमाणिकता पर संदेह उत्पन्न होता है। कृषकों के पास चि.डो.पो. की अनुपलब्धता से संबंधित आबकारी निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत भौतिक सत्यापन के प्रतिवेदन अधूरे और असार्थक थे। और तो और अनुज्ञाधारियों द्वारा अनुज्ञाशुल्क वेट क्रय मूल्य आदि पर वर्ष 2009-11 में ₹ 228.89 करोड़ खर्च किये गये थे जबकि उनके द्वारा चि.डो.पो. के विक्रय से प्राप्त कुल राशि ₹ 184.22 करोड़ की परिणामस्वरुप ₹ 44.67 करोड़ का स्पष्ट घाटा था। वर्ष 2009-11 के दौरान विभाग द्वारा व्यसनियों के 2,131 परमिटों का नवीनीकरण तीन से 20 वर्षों के बाद किया था जबकि नियमों में एक वर्ष की समाप्ती के बाद परमिटों के नवीनीकरण का कोई प्रावधान नहीं था। विभाग द्वारा परमिट धारियों से गैर नवीनीकरण अवधि में चि.डो.पो. के किये गये क्रय के स्रोतों की जानकारी बाबत कोई प्रयास नहीं किये थे। इसके अतिरिक्त प्रपत्र 'आई' में चिकित्सा अधिकारीयों की अनुशंषा प्राप्त किये बिना परमिटों का नवीनीकरण किया गया था। कई अन्य गंभीर अनियमिततायें जैसे कि उपभोग हेतु

चि.डो.पो. के उपयोग हेतु चिकित्सा अधिकारी की सलाह नहीं मानना, दोहरे परमिट जारी करना, एक ही नाम वाले परमिटों को एक से अधिक व्यसनियों को जारी करना, व्यसनियों को उनके परमिट नवीनीकरण करने से पूर्व चि.डो.पो. का विक्रय करना आदि थी। इसके अतिरिक्त ऐसे भी प्रकरण थे जिनमें खुदरा अनुज्ञाधारियों द्वारा परमिटधारी व्यसनियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को विक्रय किया गया था। राज्य में चि.डो.पो. के व्यसनियों की भारी संख्या में वृद्धि हुई जबकि वे परमिटधारी नहीं है। यह चि.डो.पो. के विक्रय पर आबकारी विभाग के नियंत्रण हेतु की गई कार्यवाही पर भी संदेह उत्पन्न करता है।

6.8.25 सिफारिशें

सरकार विचार करे:

- **केन्द्रीय नारकोटिक्स विभाग (के.ना.वि.) को दोषी कृषकों की सूची भेजे, जिससे दोषी कृषकों के अफीम की खेती के अनुज्ञापत्रों का नवीनीकरण नहीं हो सके;**
- **के.ना.वि. द्वारा अनुमत्य प्रति कि.ग्रा. अफीम उत्पादत के अनुसार ही चि.डो.पो. के मानक निर्धारित करें;**
- **परमिटधारी व्यसनियों, खुदरा/थोक अनुज्ञाधारियों, कृषकों और चि.डो.पो. के क्रय विक्रय इत्यादि के आंकडों का कम्प्यूटरीकरण करना/ई-गवर्नेस करने की कार्यवाही प्रारंभ करना आदि; तथा**
- **राष्ट्रीय नीति के अनुसार राज्य में व्यसन पर नियंत्रण हेतु, प्रभावी उपाय लागू करना।**

6.9 अन्य लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

अभिलेखों की मापक जांच में कुछ प्रकरण आबकारी राजस्व की अवसूली/कम वसूली के पाये गये, जिन्हें इस अध्याय के आगामी अनुच्छेदों में दर्शाया गया है। इनमें से कुछ कमियां पिछले वर्षों में दर्शायी गयी थी तथापि, न केवल अनियमितायें विद्यमान की किन्तु आगामी लेखापरीक्षा किये जाने तक इनका पता नहीं लगा। यह कुछ निदर्शी प्रकरण है जो लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अभिलेखों की मापक जांच पर आधारित है। सरकार को आन्तरिक लेखापरीक्षा को सुदृढ़ करने सहित आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली को सुधारने की आवश्यकता है, जिससे इस प्रकार के प्रकरणों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

6.10 अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों की पालना नहीं करना

राजस्थान आबकारी अधिनियम तथा नियमों में निम्न लिखित प्रावधान है;

(अ) निर्धारित दर से होटल बार अनुज्ञाफीस का आरोपण करना;

(ब) निर्धारित दर से कम्पोजिट दुकानों की अनुज्ञाफीस का आरोपण करना; तथा

(स) शोधित प्रारुप पर रु 2.50 की प्रति बल्क लीटर की दर से परमिट फीस का आरोपण करना।

यह देखा गया कि जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा पैराग्राफ 6.10.1 से 6.10.3 मे दर्शाये प्रकरणों में उपरोक्त प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था।

6.10.1 होटल बार अनुज्ञापत्र शुल्क की कम वसूली

राजस्थान आबकारी (ग्रान्ट आफ होटल बार/क्लब वार अनुज्ञापत्र) नियम, 1973 के अनुसार अनुज्ञापत्र शुल्क की वसूली के लिये होटलों की मुख्यत: तीन श्रेणियां 'लक्जरी' 'अन्य' तथा 'हेरिटेज' में विभाजित किया गया है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा लक्जरी होटलों को पुन: 'पांच सितारा' 'चार सितारा' 'तीन सितारा' में श्रेणी बद्ध किया गया है। हेरिटेज होटल वे होटल है जिन्हे भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा हेरिटेज होटल के रुप में मान्यता दी गयी है। राज्य सरकार द्वारा गठित एक कमेटी द्वारा हेरिटेज होटलों को 'अ' 'ब' और 'स' श्रेणी में श्रेणीबद्ध किया जाता है। होटल बार अनुज्ञापत्र के लिये, प्रत्येक श्रेणी के होटल हेतु अलग-अलग दरें निर्धारित की गयी थी। 31 जनवरी 2012 को जारी अधिसूचना के अनुसार होटलों को 'राजस्थान हेरिटेज होटलों' के रुप में परिभाषित किया है तथा मान्यता दी गई है। इससे पूर्व हेरिटेज होटल वे होटल थे, जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त थे।

(i) आबकारी आयुक्त के कार्यालय में वर्ष 2010-11 की होटल बार अनुज्ञापत्रों से संबंधित पत्रावलियों की नमूना जांच में यह देखा गया (नवम्बर 2011) कि 21 होटलों के होटल बार अनुज्ञापत्रों का नवीनीकरण आबकारी आयुक्त के द्वारा हेरिटेज श्रेणी के अन्तर्गत किया गया था। विभाग द्वारा इन होटलों से हेरिटेज 'ब' और 'स' श्रेणी के होटलों के लिये लागू दरो से अनुज्ञापत्र शुल्क की वसूली की थी। यह देखा गया कि ये होटल भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा हेरिटेज होटल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं थे, फिर भी राज्य सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा इन्हें होटल 'अ', 'ब' और 'स' में श्रेणीबद्व किया था जो कि गलत था। इस प्रकार जनवरी 2012 से पूर्व की अवधि हेतु 'अन्य होटल' के रुप में होटल बार अनुज्ञापत्र शुल्क का निर्धारण किया जाना था।

जब विभाग द्वारा इन 21 होटलों की निर्धारित दरों की 'अन्य होटल' के लिये निर्धारित दरों से तुलना करने पर अनुज्ञाफीस की अन्तर राशि ₹ 63.00 लाख पायी गयी थी, जो इन होटलों से वसूलनीय थी।

ध्यान में लाने पर (दिसम्बर 2011 तथा फरवरी 2012 के मध्य) सरकार ने बताया (जून 2012) कि हेरिटेज होटलों के वर्गीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा 09 सितम्बर 2010 को एक समिति का गठन किया था। इसके पश्चात समिति ने लेखापरीक्षा द्वारा बताये अनुसार 21 में से 19 होटलों को 'राजस्थान हेरिटज होटल' की 'ब' तथा 'स' श्रेणी में मान्यता दी थी। शेष रहे दो होटल के संबन्ध में अनुज्ञापत्र शुल्क की अन्तर राशि की वसूली हेतु प्रयास किये जा रहे है। 19 होटलों से सम्बधित उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा

'हेरिटेज होटल' के रूप में मान्यता होने की शर्त राजस्थान सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा श्रेणीबद्व किये जाने से पूर्व होना जरुरी था।

(ii) आबकारी आयुक्त कार्यालय तथा जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय जोधपुर और कोटा के वर्ष 2010-11 की होटल बार अनुज्ञापत्रों से संबंधित पत्रावलियों की नमूना जांच में यह देखा गया (नवम्बर 2011 और जनवरी 2012 के मध्य) कि पांच होटलों[22] के होटल बार अनुज्ञापत्रों का नवीनीकरण विभाग द्वारा वर्ष 2010-11 के लिये 'अन्य होटल' की श्रेणी के रुप में किया गया था। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की वेब साईट/मुख्य ट्रेवल वेब साईट/'राजस्थान होटल डायरेक्ट्री' आदि पर इन होटलों ने सितारा श्रेणी के रुप में विज्ञापित किया था। यह भी पाया कि इन पांचों होटलों में से जयपुर व जोधपुर के दो होटलों द्वारा पूर्व में 'पांच सितारा' के रूप में आवेदन किया था। तथापि, विभाग द्वारा इन दों होटलों के अनुज्ञापत्र 'अन्य श्रेणी' के रुप में नवीनीकृत किये गये। इसके परिणामस्वरुप अनुज्ञापत्र शुल्क राशि ₹ 36.50 लाख की कम वसूली हुई, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

जि.आ.अ. का नाम	होटल का नाम	श्रेणी	वसूली योग्य अनुज्ञापत्र शुल्क	वसूल की गयी अनुज्ञापत्र शुल्क	कम वसूल की गयी राशि
जोधपुर	मनवार रिर्सोट एण्ड केम्प, खीयासरिया जोधपुर	तीन सितारा	8.00	1.50	6.50
जोधपुर	कंलिगा होटल जोधपुर	तीन सितारा	8.00	6.00	2.00
जयपुर	होटल काम्वे स्पा एण्ड रिसोर्ट, कूकस,जयपुर	पांच सितारा	15.00	6.00	9.00
जयपुर	कम्वे गोल्फ रिसोर्ट जामडोली जयपुर	पांच सितारा	15.00	6.00	9.00
कोटा	होटल उम्मेद भवन पैलेस, कोटा	पांच सितारा	15.00	5.00	10.00
		योग	**61.00**	**24.50**	**36.50**

ध्यान में लाने जाने पर (दिसम्बर 2011 और फरवरी 2012 के मध्य में) सरकार ने बताया (जुलाई 2012) कि (i) एक प्रकरण में (कलिंगा होटल जोधपुर) राशि वसूल की जा चुकी है, (ii) दो प्रकरणों में (मनवार रिर्सोट एण्ड केम्प

[22] मनवार रिर्सोट एण्ड केम्प, खीयासरिया जोधपुर, कंलिगा होटल जोधपुर, होटल काम्वे स्पा एण्ड रिसोर्ट, कूकस, जयपुर, कम्वे गोल्फ रिसोर्ट जामडोली जयपुर, होटल उम्मेद भवन पैलेस, कोटा।

खियासरिया, जोधपुर और होटल उम्मेद भवन पैलेस, कोटा) मांग कायम की गई परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, मनवार रिर्सोट एण्ड केम्प, खीयासरिया जोधपुर के प्रकरण में स्थगन दिया गया था और (iii) शेष दो होटलों से वसूली बाबत उत्तर मौन था।

6.10.2 कम्पोजिट दुकानों की वार्षिक अनुज्ञापत्र शुल्क की अवसूली/कम वसूली

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के अधीन देशी मदिरा की खुदरा बिक्री के लिये अनुज्ञापत्र की शर्तों और निबंधनों के अनुसार नगरपालिका सीमा के पांच किलोमीटर के अन्दर अवस्थित कम्पोजिट दुकानों की वार्षिक अनुज्ञाफीस भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की नजदीकी नगर पालिका क्षेत्र में अवस्थित दुकान की वार्षिक अनुज्ञापत्र शुल्क की देय दर के अनुसार ली जावेगी।

जिला आबकारी अधिकारी झुन्झुनु, जोधपुर तथा कोटा के वर्ष 2010-11 के अभिलेखों की मापक जांच में यह देखा गया (जुलाई 2011 एवं जनवरी 2012 के मध्य) कि आठ कम्पोजिट दुकानें[23] नगरपालिका सीमा के पांच किलोमीटर के अन्दर अवस्थित थी।

(i) जिला आबकारी अधिकारी जोधपुर तथा झुन्झुनु की पांच दुकानों के मामलों में विभाग ने ₹ 4.68 लाख की अनुज्ञाफीस की वसूली, ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित दुकानों हेतु लागू दरों पर की थी, जबकि उनसे वसूली नगरपालिका क्षेत्र में अवस्थित दुकानों के लिये देय दरों पर ₹ 33.00 लाख की करनी थी, जैसाकि निम्न सारणी में दर्शाया है:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जि.आ. अ. का नाम	ग्राम क्षेत्र का नाम जिसमें दुकान अवस्थित थी	नजदीकी नगरपालिका का क्षेत्र (5 किमी में)	वर्ष	देय अनुज्ञापत्र शुल्क	वसूल की गयी अनुज्ञापत्र शुल्क	कम वसूली
1	जोधपुर	खीचन	फलौदी	2010-11	3.90	0.71	3.19
2		सांगरिया (तनवारा फाटक के पास)	जोधपुर	2009-10	7.50	0.25	7.25
				2010-11	9.00	2.08	6.92
3	झुन्झुनु	प्रतापपुरा(मठ)	झुन्झुनु	2010-11	4.80	0.93	3.87
4		वाहिदपुरा	मण्डावा	2010-11	3.90	0.25	3.65
5		रघुनाथपुरा (धोलाखेडा)	उदयपुरवाटी	2010-11	3.90	0.46	3.44
		योग			**33.00**	**4.68**	**28.32**

[23] देशी मदिरा की दुकानों जिनके पास भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की खुदरा बिक्री का अनुज्ञापत्र है।

(ii) खेडा रसूलपुर, कोटा में स्थित एक दुकान के मामलें में वर्ष 2008-09 से 2010-11 के लिये अनुज्ञापत्र शुल्क के राशि ₹ 9.00 लाख की वसूली कैथून नगर पालिका में अवस्थित दुकानों की देय दरों से की थी जबकि राशि ₹ 16.35 लाख कोटा नगर पालिका क्षेत्र में अवस्थित दुकानों की देय दरों से करनी थी, जो कि नजदीकी नगर पालिका क्षेत्र था।

(iii) पाल समूह, जोधपुर की दो दुकानों के मामले में राशि ₹ 18.00 लाख की अनुज्ञापत्र शुल्क की वसूली के स्थान पर एक दुकान से राशि ₹ 9.00 लाख की अनुज्ञापत्र शुल्क की वसूली की गई थी।

इस प्रकार अनुज्ञापत्र शुल्क की गलत दर आरोपित करने/अनुज्ञापत्र शुल्क की अवसूली के परिणामस्वरुप राशि ₹ 44.68 लाख की कम वसूली हुयी ।

ध्यान में लाने पर (अगस्त 2011 और फरवरी 2012 के मध्य) सरकार ने दस प्रकरणों में लेखापरीक्षा टिप्पणी स्वीकार्य की (जुलाई 2012) तथापि आगे की कार्यवाही प्रतीक्षित है (नवम्बर 2012) ।

6.10.3 परमिट शुल्क की अवसूली

राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 69-बी के प्रावधान के अनुसार एक आसवनी द्वारा, देशी मदिरा निर्माण हेतु राज्य में शोधित प्रासव के परिवहन पर ₹ 2.50 प्रति वल्क लीटर दर से परमिट फीस वसूली योग्य है।

जिला आबकारी अधिकारी, श्रीगंगानगर और उदयपुर के कार्यालयों की वर्ष 2010-11 के लेखों की मापक जांच में (सितम्बर 2011 और नवम्बर 2011 के मध्य) यह देखा गया कि दो बोटलिंग प्लांटों[24] द्वारा देशी मदिरा निर्माण हेतु राज्य में स्थित एक आसवनी से शोधित प्रासव[25] का परिवहन किया था, लेकिन वर्ष 2010-11 के दौरान 104 परमिटों, में निहित 22,52,000 वल्क लीटर शोधित प्रासव के परिवहन पर देय परमिट शुल्क की वसूली नहीं की गई। इसके परिणामस्वरुप ₹ 56.30 लाख[26] परमिट शुल्क की अवसूली रही थी।

[24] एच.एच. बोटलिंग प्लांट, श्रीगंगानगर और मदिरा उद्योग प्राईवेट लिमिटेड, उदयपुर।

[25] ग्लोबस, प्रासव लिमिटेड, अलवर।

[26] 22,52,000 बल्क लीटर x ₹ 2.50 प्रति बल्क लीटर = ₹ 56,30,000।

ध्यान में लाये जाने पर (अक्टूबर 2011 और दिसम्बर 2011 के मध्य) सरकार ने बताया (जुलाई 2012) कि उनके द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 01.4.2012 से देशी मदिरा निर्माण हेतु राज्य में परिवहन किये शोधित प्रासव पर परमिट शुल्क माफ की जा चुकी है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि देशी मदिरा के निर्माण हेतु राज्य में परिवहन किये शोधित प्रासव पर परमिट शुल्क माफ करने की अधिसूचना दिनांक 01.04.2012 को जारी की गयी है, लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये गये प्रकरण अधिसूचना जारी करने से पूर्व की अवधि के है। अत: पूर्ववर्ती प्रकरणों में वसूली की जावे।